नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित समिति कक्ष में दिनांक 04 को स्थगित एवं 05 जुलाई 2023 को पूर्वान्ह 11:30बजे सम्पन्न हुई, मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 04.07.2023 दिन मंगलवार को पूर्वान्ह 11:30 बजे नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित समिति कक्ष में स्थगित हुई, मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर/सभापति
2.	श्री निर्देश सिंह चौहान	सदस्य
3.	श्री आशुमेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
4.	श्री विकास जायसवाल	सदस्य
5.	श्री देवेन्द्र द्विवेदी	सदस्य
6.	श्री दीपक शर्मा	सदस्य
7.	श्रीमती आरती गौतम	सदस्य
8.	श्री पवन गुप्ता	सदस्य
9.	श्री सन्तोष साहू	सदस्य
10.	श्री योगेन्द्र शर्मा	सदस्य
11.	श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	सदस्य
12.	श्री लियाकत अली	सदस्य
13.	श्रीमती अंजुलि आदर्श शर्मा	सदस्य

अधिकारीगण

1.	श्री शिवशरणप्पा जी.एन.	नगर आयुक्त
2.	श्री जगदीश यादव	अपर नगर आयुक्त
3.	श्री मनीष अवस्थी	मुख्य अभियन्ता ''सिविल''
4.	डा0 अजय संख्वार	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
5.	डा0 अमित सिंह	नगर स्वास्थ्य अधिकारी/प्रभारी अधिकारी वर्कशाप
6.	श्री के0पी0आनन्द	प्रभारी महाप्रबन्धक ''जलकल''
7.	श्री कृपा नन्द शुक्ला	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
8.	श्री राजीव कुमार सिंह	वित्त अधिकारी जल कल
9.	श्री राधे श्याम पटेल	सचिव नगर निगम

सभापति ने सर्वप्रथम नगर आयुक्त को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया। तद्नुसार नगर आयुक्त ने सभी मा0 कार्यकारिणी सदस्यों, अधिकारियों एवं मीडिया बन्धुओं का स्वागत करते हुए अपर नगर आयुक्त को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

अपर नगर आयुक्त ने कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कार्यसूची के बिन्दु संख्या–1 के क्रम में नगर निगम कार्यकारिणी समिति के उपसभापति के निर्वाचन हेतु मा0 सभापति एवं सदस्यों से नाम प्रस्तावित करने का अनुरोध किया। आम सहमति के उपरान्त सभापति द्वारा श्री सन्तोष साहू का नाम उपसभापति हेतु प्रस्तावित किया गया, जिस पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। माननीय सभापति द्वारा श्री सन्तोष साहू को कार्यकारिणी समिति का उपसभापति घोषित किया। सभापति ने व सभी सदस्यों ने उनका स्वागत किया।

नगर आयुक्त द्वारा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को कार्यकारिणी समिति के एजेण्डा के अनुसार प्रस्ताव संख्या–1 नगर निगम के मूल बजट वित्तीय वर्ष 2023–24 के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

सभापति ने कहा कि बजट पर चर्चा से पूर्व शहर के मूलभूत समस्याएं जो अब विकराल रूप ले रही है, जैसे कि 1. नगर निगम में 08 करोड़ की गाड़ी मंगाई गयी, उसके बारे में मा0 कार्यकारिणी समिति को अवगत कराएं। प्रतिदिन जनता/पार्षद द्वारा. हमसे सवाल पूछा जाता है, कहॉ से गाड़ी आयी ? किसके कहने पर आयी ? 2. नाला/नाली की सफाई समय से न होने के कारण वर्षा में शहर के जलमग्न होने 3. जूही ढाल में पानी भरने 4. मार्ग प्रकाश की व्यवस्था ध्वस्त होने, इसके सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा तब बजट पर चर्चा होगी।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने हमे नगर निगम का मूल बजट वर्ष 2023–24 की प्रति अभी प्राप्त करायी गयी है। ऐसे में उसे पढ़ पाना और उस पर सुझाव देना या उसकी खामिया बता पाना सम्भव नहीं है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी से टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य के बारे में अवगत कराने हेतु कहा साथ ही यह भी पूछा कि जो बजट में जो लक्ष्य दिया गया है, क्या उसमें एरियर और ब्याज भी सम्मिलित है ?

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2023–24 का लक्ष्य 220 करोड़ है, विगत वर्ष 276 करोड़ की वसूली हुई थी इसमें एरियर एवं ब्याज भी सम्मिलित है।

सभापति ने कहा कि मैने अपने पिछले कार्यकाल में जोन–1 के जेड स्क्वायर मॉल जिस पर 24 करोड़ बकाया था, पर ताला लगाकर वसूलयाबी करायी थी, अब उस पर वसूली क्यों नहीं हो पा रही है, अब तो ब्याज सहित बहुत अधिक बकाया हो गया होगा।

श्री राजेश गुप्ता, जोनल अधिकारी, जोन–1 ने अवगत कराया कि जेड स्क्वायर की नाप हो गयी है, मेजरमेन्ट कराकर नोटिस भेजी जायेगी।

सभापति ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि नोटिस के उपरान्त समस्त बकाया कर जमा कराने की कार्यवाही करायें।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि बड़ी सम्पत्तियों का कर निर्धारण नहीं हो पा रहा है, छोटी सम्पत्तियों का क्या होगा ? फिर कहेंगे कि नगर निगम के पास धन नहीं है। प्रत्येक जोन में गृह कर की

शिकायतो का निस्तारण नही हो पा रहा है जिस कारण अभी तक कई सम्पत्तियों के बिल जारी नहीं हो पाये है।

सभापति ने निर्देशित किया कि समस्त बड़े बकायेदारो की लिस्ट जोनल कार्यालयों में चस्पा की जाये।

डॉ0 अमित सिंह नगर स्वास्थ्य अधिकारी/प्रभारी वर्कशाप ने कार्यकारिणी सदस्यों को अवगत कराया कि कूड़ा कलेक्शन एवं परिवहन के मद में स्वच्छ भारत मिशन से रू0 28 करोड़ 66 लाख स्वीकृत किये गये है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु 100 नग हॉपर ट्रिपर रू0 8 करोड़ छियासी लाख 80 हजार से क्रय किये जाने है, जिसमें अभी तक एक भी गाड़ी प्राप्त नहीं हुई है। पूर्व में स्वच्छ भारत मिशन से इसमें 1600 (एक हजार छै सौ) रिक्शा ट्राली एवं 2500 (दो हजार पॉच सौ) हाथ कूड़ा गाड़ी को जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने के उपरान्त जोनों को वितरित किया जा चुका है।

जोनवार वितरित किये गये हाथ कूड़ा गाड़ी एवं रिक्शा का विवरण निम्नवत है :–

जोन	हाथ कूड़ा गाड़ी	रिक्शा
1	224	66
2	217	112
3	208	75
4	312	64
5	176	82
6	217	102

सभापति ने कहा कि कार्यकारिणी की कार्यवाही तब तक आगे नहीं बढ़ेंगी जब तक गाड़ियों के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जायेगी और गाड़ियॉ नहीं दिखायी जायेंगी। पार्षदो द्वारा भी गाड़ियों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायते की जाती है, गाड़ियों को कार्यकारिणी समिति के समक्ष खड़ा किया जाये और दिखवाया जाये।

डॉ अमित सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी वर्कशाप ने अवगत कराया कि नगर आयुक्त द्वारा अपर नगर आयुक्त 'तृतीय' को जॉच अधिकारी नामित किया गया था।

सभापति ने कहा कि मै यात्रा पर थी, बरसात में पूरी सड़के जलमग्न हो गयी, विगत वर्ष इतना दुखी नहीं थी, सिविल लाइन्स मे मैनें रिवर साइड पावर हाउस में अंग्रेजो के जमाने का नाला ढूंढकर निकाला था, जिससे सिविल लाइन्स मे जल भराव की समस्या समाप्त हो गयी थी। इस बार लोगों के घरो में पानी भरा रहा है। जूही में जल भराव का कारण दोनों तरफ ढाल है। कोई भी जलभराव रोक नहीं सकता है। पहले 02 दिन में जल भराव खाली होता था, अब 06 घंटे में खाली हो जाता हैं।

नगर आयुक्त ने जूही पुल के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया कि जूही सम्पवेल जोनल अभियन्ता, जोन–5 को हस्तानान्तरित कर दिया गया है। दोनो तरफ बेरियर लगा दिया गया है। रिजर्व के रूप में 150 लीटर तेल सम्पवेल के मोटरो हेतु उपलब्ध रहता है। दो (02) अवर अभियन्ताओं की भी तैनाती कर दी गयी है। सम्पवेल का निर्माण 2.75 करोड़ से हुआ था।

श्री निर्देश सिंह चौहान ने कहा कि जहॉ जगह मिल रही है, वहॉ पर नाला सफाई हो रही है, जहॉ अतिक्रमण है, वहॉ सफाई नहीं हो रही है। ऐसे मे नालो की सही ढंग से सफाई होना सम्भव नहीं है। नालो के ऊपर के अतिक्रमण को हटाकर नाला सफाई करायी जाये।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि आप लिखित रूप से अवगत करा दें, जहॉ अतिक्रण है, वहॉ अतिक्रमण हटाकर सफाई कार्य करायी जायेगी।

सभापति ने नगर आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि मैने आपसे पूर्व में कहा था कि एक तरफ से नाले/नालियों का अतिक्रमण हटाकर साफ कराया जाये, यदि नाले का अतिक्रमण नही तोड़ा जायेगा, तो सफाई नहीं हो पायेगी। चाहे कोई भी हो, नाला, नाली पर अतिक्रमण तोड़कर सफाई कार्य करायें। नाला/नाली की सफाई न होने के कारण नगर निगम को दोष दिया जाता है। यदि स्लैब हटाकर सफाई कराते है, तो शीघ्र ही उसे ठीक करा दें ।

श्री सन्तोष साहू उपसभापति ने कहा कि मेरे क्षेत्र में अभियन्त्रण विभाग के 02 नाले है, कोई अधिक कार्य नहीं है लेकिन अतिक्रमण के कारण कार्य नही हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी नाली तोड़कर सफाई करायी है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि सभी जोनल अभियन्ताओं को स्वतंत्र कर दिया है कि अतिक्रमण हटाकर सफाई कार्य कराये।

श्रीमती अंजुली दीक्षित ने कहा कि मेरे गुजैनी क्षेत्र में नालियॉ साफ नहीं होने से घरो मे पानी भर रहा है। झॉसी रेलवे लाईन से हाइवे तक नाला भरा रहता है, जिससे जानवर गिरते है और कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है इसे साफ कराकर ढकवाया जाये।

श्री निर्देश सिंह चौहान ने कहा कि मेरे क्षेत्र में मार्ग प्रकाश विभाग की सभी लाइटें बन्द है, नगर निगम की एक भी गाड़ी नहीं जाती है। इस पर शीघ्र कार्यवाही करायी जाये।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि 32 करोड़ रूपये ई0ई0एस0एल0 का नगर निगम पर बकाया है। 07 साल का अनुबन्ध है। एक बैठक करके तय करना है कि नगर निगम की कितनी देयता है, क्यों कि ई0ई0एस0एल0 को राज्य सरकार से भी भुगतान प्राप्त होता है।

श्री अभिषेक गुप्ता मोनू ने कहा कि 07 साल का एंग्रीमेन्ट है और ई0ई0एस0एल0 की लाईटो से मार्ग प्रकाश विभाग को बिजली से बचत होगी, उसकी सेविंग से ही भुगतान होना है। किन–किन जोनों मे ई0ई0एस0एल0 के कितने कर्मचारी काम रहे है ? अवगत कराये, यदि नही तो ई0ई0एस0एल0 का गैंग सभी जोनो में होना चाहिए।

श्री विद्या सागर यादव, प्रभारी मार्ग प्रकाश ने अवगत कराया कि ई0ई0एस0एल0के पास सिर्फ 02 हाईड्रोलिक गाड़ी है। ई0ई0एस0एल0 को नगर निगम से 32 करोड़ दिया जाना है। 03 करोड़ दिया गया है, 30 करोड़ बकाया है।

श्री रमेश कुमार पाल, पर्यावरण अभियन्ता ने अवगत कराया कि ई0ई0एस0एल0 के भुगतान में 30–70 का रेशियों है। 70 प्रतिशत शासन से भुगतान होना है, 30 प्रतिशत नगर निगम का है। अभी तक जो एनर्जी सेविंग है, उसमें ई0ई0एस0एल0 के अनुसार अब तक जो बिलिंग हुई है, वह 114 करोड़ है। ई0ई0एस0एल0 को लाईट के साथ सी0सी0एम0एक्स0 बाक्स लगाया जाना था ? जिनकी संख्या 550

(पॉच सौ पचास) है। अभी तक नहीं लगाया गया है। सी0सी0एम0एक्स0 बॉक्स लग जाने से मार्ग प्रकाश की लाईट अपने आप जलेगी व बुझेंगी।

सभापति ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि जब ई0ई0एस0एल0 अनुबन्ध के अनुसार जो सी0सी0एम0एक्स0 बॉक्स लगाया जाना था, अब तक क्यों नहीं लगाया गया ? अवगत कराये। जब तक अनुबंध की शर्ते पूरी न हो जाये, तब तक भुगतान न किया जाये।

सभापति ने कहा कि कानपुर महानगर में ज्यादातर जल भराव मेट्रो के कारण हो रहा है, मेट्रो द्वारा कार्य करते समय सीवर लाईने ध्वस्त होने अथवा बन्द करने के कारण हो रहा है। नवीन मार्केट के पास भी जल भराव हो रहा है। मेट्रो ने बृजेन्द्र स्वरूप पार्क में स्काउट भवन की दूसरी बिल्डिंग बना कर दे दी। नगर निगम में देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है। नगर निगम की भूमि पर बड़ा भवन के साथ सड़क बनाकर दे दी। मेट्रो द्वारा जूही में पेड़ो की बड़ी–बड़ी लकड़ियॉ उठवा ली गयी, किन्तु छोटी–छोटी डाले घरो के बाहर छोड़ दी गयी है, उन्हें शीघ्र हटवाया जाये।

श्री के0पी0 आनन्द, प्रभारी महाप्रबन्धक जल कल ने अवगत कराया कि मेट्रो को नवीन मार्केट में सीवर लाईन डालनी थी, अब जल कल विभाग द्वारा 60 मीटर लाईन डाली जा रही है।

श्री आशुमेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि नगर निगम द्वारा बिना पार्षद की सहमति/अवगत कराये कार्य कराये जा रहे है और उनके भुगतान भी हो रहे है। पार्षद की सहमति पर कार्य कराये जाये एवं पार्षदो द्वारा कार्य की समाप्ति के उपरान्त कार्य के सन्तोषजनक होने का पत्र दिये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाये। कोई भी कार्य बिना पार्षदो की सहमति के हो रहा है। सारे भुगतान भी हो रहे है। नगर निगम की नाला, नालियों पर अतिक्रमण है, उसे हटाकर सफाई करायी जाये। विज्ञापन विभाग में सेलवेल कम्पनी है, उससे नगर निगम को कोई आय प्राप्त नहीं होती है और उसका अनुबन्ध भी समाप्त हो चुका है, किन्तु वह फिर भी विज्ञापन कर रही है।

सभापति ने कहा कि नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त जोनो से नाला, नाली पर अतिक्रमण हटाकर सफाई करायी जाये।

श्री आशुमेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि सुलभ इंटरनेशनल का अनुबंध समाप्त हो चुका है। वसूली अभी भी कर रहा है।

डॉ0 अमित सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने अवगत कराया कि पिछले सप्ताह मीटिंग थी लगभग सभी के अनुबन्ध 30–30 साल के है, जो अभी समाप्त नहीं हुए है। जो मानक है उसी के अनुसार शौचालय का संचालन करने हेतु 15 दिन का समय संस्थाओं को दिया गया है। शौचालय का मेन्टेनेन्स करने का दायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।

श्री अभिषेक गुप्ता मोनू ने कहा कि नगर निगम द्वारा शौचालयों का मेन्टेनेन्स किया जाता है, मेरे पास प्रमाण है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान में ओ0डी0एफ0 या ओ0डी0एफ0 प्लस प्लस के अन्तर्गत नगर निगम की रैकिंग बढ़ाने हेतु मेन्टेनेन्स नगर निगम द्वारा कराया जाता है।

सभापति ने कहा कि मोतीझील कारगिल पार्क स्थित शौचालय में 2 बड़े कमरे बनाकर पूरा परिवार निवास कर रहा है, जिसको हटाने के लिये कई बार निर्देश दिये गये, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री बी0के0सिंह, उद्यान अधीक्षक ने कहा कि शौचालयों की देखभाल करने वाले का परिवार ही वहॉ निवास करता है, जिसको हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री पवन गुप्ता ने कहा कि तुलसी उपवन पार्क की दीवार से लगे घरो के लोगो द्वारा अपने घरो के पानी, मल, मूल आदि के पाइप पार्क में ही निकाल रखे है साथ ही नगर निगम के विभिन्न पार्को में गार्ड चौकीदार नहीं है, तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा ?

श्री बी0के0सिंह ने अवगत कराया कि तुलसी उपवन में कोई नहीं रहता है, तुलसी उपवन की दीवार के उस पार लोग निवास करते है। कछुआ तालाब में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के सैनिकों की तीन शिफ्टों मे एक–एक कर्मचारी की तैनाती की गयी है।

सभापति ने कहा पार्को की देख–रेख हेतु मालियों की संख्या कम है। अतः माली भी आउटसोर्सिंग पर रखे जाये। साथ ही समस्त सुलभ शौचालयों की सूची तैयार कर पार्षद एवं अधिकारियों की एक कमिटी बनायी जाये, ताकि स्वच्छ भारत अभियान को गति मिल सके।

नगर आयुक्त ने कार्यकारिणी के सदस्यों को अवगत कराया कि अगली बार कार्यकारिणी के प्रस्तावो पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराये जाने के उपरान्त ही अगला एजेण्डा पढ़ा जायेगा।

सभापति ने कहा कि कैटिल कैचिंग विभाग के कर्मचारियों अभी 05 के घायल होने की सूचना मिली मै कॉशीराम अस्पताल गयी, मैने डॉ0 निरंजन को फोन किया, तब डॉ0 निरंजन ने अवगत कराया सभी को लेकर हैलट में आ गये है। मै भी हैलट पहुॅची। सभी कर्मियों रू0 08 हजार वेतन मिलता है, लेकिन जान लगाकर पूरी मेहनत से कार्य करते है।

श्री आशुमेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा सफाई कर्मियों को मनरेगा मजदूरों से कम वेतन मिलता है, इनका वेतन बढ़ाया जाये।

अपराह्न 02:30 बजे आधे घंटे के लिये सभापति द्वारा कार्यकारिणी की बैठक स्थगित की गयी।

....

सभापति ने कहा अभी मेरे मुहल्ले में किसी भी कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

डॉ0 निरंजन ने अवगत कराया कि कुत्तो का रजिस्ट्रेशन कार्य चल रहा है, जिसने भी कुत्तो का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उन सभी पर जुर्माना लगाये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सभापति ने कहा कि जैसे छूटे गाय, साढ़ इत्यादि को गौशाला में रखकर खिला रहे है, उसी प्रकार कुत्तो को भी रखा जाये। रायपुरवा में राज्य सरकार का पशु चिकित्सालय है, लेकिन वहॉ कोई कार्य नहीं होता है। नवाबगंज में बहुत बड़ी मार्केट है, हमारी बहुत बड़ी जगह है, थाने के सामने। ए टू जेड प्लान्ट में 7–8 गाड़ी कूड़े के ढेर में पड़ी थी, पूर्व नगर आयुक्त श्री अक्षय त्रिपाठी द्वारा उसे ठीक कराकर चालू कराया गया। सुपर शॉकर मशीन भी बेकार पड़ी है। उसे चालू कराया जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता मोनू ने कहा कि हरबंश मोहाल थाने में नगर निगम का काम्पैक्टर पिछले कई माह से खड़ा है।

श्री रहमान प्रभारी रबिश ने अवगत कराया कि काम्पैक्टर नोयडा स्थित कम्पनी का है, जिसका वाद मा0 न्यायालय मे चल रहा है। मा0 न्यायालय से एक सप्ताह में आदेश हो जायेंगे, फिर उसे छुड़ा

लिया जायेगा।

श्री पवन गुप्ता ने कहा कि पार्षद निधि से सभी को एक–एक करोड़ के काम दिये जाये, मा0 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अलग से बजट दिया जाये।

सभापति ने कहा कि 110 पार्षद है, सभी को 25–25 लाख का बजट विकास कार्यो हेतु दिया जाये एवं मा0 कार्यकारिणी सदस्यों को विकास कार्यो हेतु 25–25 लाख का अतिरिक्त बजट प्राविधानित किया जाये। कूड़े वाले ट्रक इलेक्ट्रिक मंगाये जाये, जिससे ईंधन की बचत हो सके।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि हम लोगों का कार्य हाईपावर का होता है, अभी इलेक्ट्रिक में हाईपावन के वाहन नहीं है। इस माह से डीजल आपूर्ति हेतु इलेक्ट्रानिक बिल अनिवार्य कर दिया गया है। 16 जून से इलेक्ट्रानिक बिल प्रिन्ट हो रहे है।

श्रीमती अंजुली दीक्षित ने कहा कि गुजैनी मे ंसिचाई विभाग की नहर है, उस पर पुलिया है। पुलिया बहुत संकरी एवं जर्जर अवस्था में है, इसका चौड़ीकरण कर निर्माण कराया जाना आवश्यक है, जनता को प्रतिदिन परेशानी होती है। साथ ही गुजैनी क्षेत्र में जल की बहुत समस्या है, 05–05 हैण्डपम्प एवं समर्सिबल पम्प दिया जाये।

श्री देवेन्द्र द्विवेदी ने कहा गुजैनी पुलियॉ, दबौली एवं गुजैनी दोनो क्षेत्रो की जनता की आवश्यकता है। साथ ही प्रत्येक जोन मे ंएक–एक अतिरिक्त जेटिंग मशीन मंगवाई जाये। अभी सभी जोनो मे ं01–01 मशीन है, जो ज्यादातर खराब रहती है। हर जोन में मशीन दी जाये। सड़क कम बनवायी जाये। हैण्डपम्प हेतु एक अलग से टीम बनायी जाये, ताकि हैण्ड पम्प तत्काल बनवाया जा सके।

सभापति ने कहा कि पूरे शहर में हैण्डपम्प न लगाकर मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश पर ''हर घर जल'' पर कार्यवाही की जाये। पूरे शहर में लगभग 10,000 (दस हजार) हैण्डपम्प ठूॅठ खड़े है। हमने अपनी पार्षदी के समय सांसद श्याम बिहारी मिश्रा के सहयोग से 40 हैण्डपम्प मिल कम्पाउंड में लगवाये, सब खराब पड़े है।

श्री विकास जायसवाल ने कहा ''हर घर शुद्ध जल''नाम रखा जाये। हमारे क्षेत्र में कई स्थानो पर जलापूर्ति लाईन क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण गंदा पानी आता है, अतएव हर घर शुद्ध जल नाम रखा जाये।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि क्रीड़ा विभाग के अन्तर्गत नानाराव पार्क के अन्तर्गत तरण ताल में स्मार्ट सिटी से 13 करोड़ के कार्य हो रहे है। अवशेष कार्यो का टेण्डर भी हो गया है। नगर निगम को रिस्क एक्सपर्ट की आवश्यकता है।

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त या मृतक हो गये है, उनके स्थान रिक्त हो गये, उनके रिक्त स्थानों पर कर्मचारी दिये जाये।

सभापति ने कहा कि जितने कर्मचारी है, यदि उतने ही कार्य करने लगे तो अतिरिक्त की आवश्यकता नहीं है। जो कर्मचारी वार्डो में नहीं आ रहे उन्हें हटाये जाने की कार्यवाही कराये।

श्री के0पी0 आनन्द, प्रभारी महाप्रबन्धक जलकल ने अवगत कराया कि अमृत मिशन द्वारा सीवर व जलकल कनेक्शन का काम किया गया है, लगभग 20,000 कनेक्शन दिये गये है।

सभापति ने कहा कि गीता नगर में 30 करोड़ का काम होना है, 30 करोड़ का प्रस्ताव किसने बनाया ।

श्री के0पी0 आनन्द, प्रभारी महाप्रबन्धक जलकल ने अवगत कराया कि उक्त योजना जल निगम द्वारा बनायी गयी है। जिसके अन्तर्गत 07 तरह के कार्य होने है।

सभापति ने कहा सोसाइटी वाले नगर निगम का टैक्स दे रहे है, लेकिन जहॉ सीवर का काम होना है, जिसके कारण लोग टैक्स नहीं दे रहे है। जहॉ से टैक्स न मिले वहॉ सीवर व जलकल का कार्य न किया जाये। हमारी कॉलोनी में ही सरकारी पानी नहीं आता है।

श्री शशि कुमार गुप्ता, जोनल अभियन्ता, जोन–4 जलकल ने अवगत कराया कि एफ0एम0 कॉलोनी में जलापूर्ति हेतु 15 वें वित्त आयोग में रू0 09 लाख का कार्य प्रस्तावित है।

सभापति ने श्री के0पी0 आनन्द, प्रभारी महाप्रबन्धक जलकल से पूछा कि जोन वाइज कितने समर्सिबल पम्प लगे है अवगत करायें। साथ ही निर्देशित किया कि जितने समर्सिबल पम्प निजी/व्यावसायिक लगे है, उनमें मीटर लगाया जाये। पानी की उपयोगिता निर्धारित कर, उससे अधिक पाये जाने पर कर लगाये। गाड़ी धुलाई सेन्टरो पर लगभग 5 से 10 हजार का कर लगाया जाये। हमारा पानी निकाल कर बेचा जा रहा है। चाचा नेहरू अस्पताल से डिप्टी पड़ाव तक घोड़ा रखने वाले गन्दगी फैला रहे है। उन पर कार्यवाही की जाये।

सभापति ने डॉ0 आर0 के0 निरंजन को निर्देशित किया कि चट्टा वालो की सूची तैयार करें और बैठक की तिथि निर्धारित करें, चट्टा वालो से गोबर नाली मे बहाने हेतु वार्ता करनी है। यदि कोई एक गाय रखता है, तो कोई बात नहीं है। व्यवस्था हो यदि कोई बाहर पकड़ी जाये तो उसे छोड़ा न जाये।

डॉ0 आर0 के0 निरंजन ने अवगत कराया कि कैटिल कॉलोनी बनाये जाने का शासनादेश है। 20–25 चट्टे वालों को कैटिल कॉलोनी आवंटित हुई है।

सभापति द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक अगले दिन दिनांक 05.07.2023 को अपराह्न 03:00 बजे निर्धारित की गयी।

....

दिनांक 04.07.2023 को स्थगित एवं 05.07.2023 दिन बुधवार को पूर्वान्ह 11:30 बजे नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई, मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

01.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / सभापति
02.	श्री विकास जायसवाल	सदस्य
03.	श्री देवेन्द्र द्विवेदी	सदस्य
04.	श्री दीपक शर्मा	सदस्य
05.	श्रीमती आरती गौतम	सदस्य
06.	श्री पवन गुप्ता	सदस्य
07.	श्री सन्तोष साहू	सदस्य
08.	श्री योगेन्द्र शर्मा	सदस्य
09.	श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	सदस्य
10.	श्री लियाकत अली	सदस्य
11.	श्रीमती अंजुलि आदर्श शर्मा	सदस्य

अधिकारीगण

01.	श्री शिवशरणप्पा जी.एन.	नगर आयुक्त
02.	श्री जगदीश यादव	अपर नगर आयुक्त
03.	श्री मनीष अवस्थी	मुख्य अभियन्ता ''सिविल''
04.	डा0 अजय संख्वार	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
05.	डा0 अमित सिंह	नगर स्वास्थ्य अधिकारी / प्रभारी अधिकारी वर्कशाप
06.	श्री के0पी0आनन्द	प्रभारी महाप्रबन्धक ''जलकल''
07.	श्री कृपा नन्द शुक्ला	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
08.	श्री राजीव कुमार सिंह	वित्त अधिकारी जल कल
09.	श्री राधे श्याम पटेल	सचिव नगर निगम

सभापति ने सर्वप्रथम नगर आयुक्त को बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। तद्नुसार नगर आयुक्त ने सभी मा0 कार्यकारिणी सदस्यों, अधिकारियों एवं मीडिया बन्धुओं का स्वागत करते हुए सभापति के निर्देशानुसार श्री कृपा नन्द शुक्ला, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को नगर निगम, कानपुर का वित्तीय वर्ष 2023–24 का मूल बजट संशोधन उपरान्त प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया ।

श्री पवन गुप्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में ब्लीचिंग, हाइड्रो क्रय किया जा रहा है, इसका किस–किस कार्य में प्रयोग किया जाता है, इससे कानपुर की जनता को तभी लाभ मिलेगा, जब नलकूप में प्रयोग होगा, वर्तमान में 80 प्रतिशत नलकूप खराब पड़े है। जाजमऊ में गंदा पानी पीना पड़ रहा है। केमिकल डाल कर साफ कराये।

श्री के0पी0 आनन्द, प्रभारी महाप्रबन्धक ने स्पष्ट किया कि ब्लीचिंग, हाइड्रो का प्रयोग ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में होता है, नलकूप में प्रयोग नहीं होता है। यदि 80 प्रतिशत नलकूप खराब पड़े है, तो शहर में जलापूर्ति कैसे हो रही है।

श्रीमती अंजुली दीक्षित ने कहा कि विज्ञापन शुल्क से आय 4 करोड़ अब 8 करोड़ किया गया है।

सभापति ने कहा महापौर के शपथ के बाद हर जगह अवैध होर्डिग्स हट रही है। साथ ही यदि पवन गुप्ता के अनुसार यदि 80 प्रतिशत नलकूप खराब होगा तो पानी नहीं आयेगा। 20 से 30 प्रतिशत तो माना जा सकता है किन्तु 80 प्रतिशत नलकूप खराब होने की बात तथ्यात्मक नहीं है। कितनी टंकियॉ बन्द है ? कितनी चल रही है ? सर्वे कराकर सूचना उपलब्ध कराएँ।

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि विगत वर्ष समस्त पार्षदों को 02–02 समर्सिबल पम्प दिये गये थे।

सभापति ने स्पष्ट किया सभी समर्सिबल पम्प नगर निगम निधि से नहीं 15 वें वित्त आयोग से दिये गये थे। सभापति ने महाप्रबन्धक जल कल को निर्देशित किया कि नगर निगम के जितने हैण्डपम्प ठूॅठ खड़े है उनको उखड़वायें, साथ ही विगत वर्ष जितने समर्सिबल पम्प लगे थे उसकी भी जॉच कर कितने चालू/बन्द है, की सूचना उपलब्ध करायें। सभापति ने कार्यकारिणी सदस्यों से अनुरोध कि 05 हैण्डपम्प के स्थान पर 01 समर्सिबल पम्प का प्रस्ताव दें।

सभापति द्वारा सांसद, विधायक निधि के धन के सम्बन्ध में पूछे जाने पर श्री के0पी0 आनन्द, प्रभारी महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराना है कि विगत वर्ष 04 करोड़ रूपये उक्त निधि के अन्तर्गत प्राप्त हुए थे, जो उनके क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य के मद में प्राप्त हुए थे।

श्रीमती आरती गौतम ने कहा मेरे वार्ड उस्मानपुर में बहुत से अपार्टमेन्ट बन रहे है और क्षेत्र में मलबा बाहर छोड़ देते है।

सभापति ने निर्देशित मलबा बाहर छोड़ने वालो पर जुर्माना लगाये जाने की कार्यवाही की जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि स्वाथ्य, रबिश, कैटिल कैचिंग, मार्ग प्रकाश, इंजीनियरिंग, उद्यान सबके लिये अलग–अलग गाड़ी है।

डॉ0 अमित सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी/प्रभारी अधिकारी रबिश ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग में हाथ कूड़ा गाड़ी एवं बॉब कट गाड़ी होती है, जबकि रबिश विभाग में जे0सी0बी0 इत्यादि बड़ी

गाड़ियॉ होती है, स्वास्थ्य विभाग प्राइमरी कलेक्शन का कार्य करता है, सेकेण्डरी कलेक्शन का कार्य रबिश विभाग का है।

सभापति ने नगर आयुक्त से 15 वें वित्त आयोग के धन एवं परमट कारीडोर किसके द्वारा बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी।

श्री मनीष अवस्थी, मुख्य अभियन्ता 'सिविल' ने अवगत कराया कि परमट कारीडोर में केवल थाने तक ही कार्य करा सकते है, अन्दर कार्य नहीं करा सकते है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराना कि सालिड वेस्ट के मद में 150 करोड़ की प्राप्ति हुई है साथ विगत वर्ष 16 करोड़ अतिरिक्त धन अवशेष है एवं परमट कारीडोर नीरज गुप्ता कान्ट्रेक्टर बना रहा है, जिसे माह सितम्बर 2023 तक कार्य पूर्ण करना है। अन्दर का कार्य मन्दिर कमेटी का प्रकरण होने के कारण कार्य नहीं करा सकते है।

श्रीमती अंजुली दीक्षित ने कहा कि गुजैनी वार्ड मे जल संस्थान से जलापूर्ति नहीं हो रही है, जब से पार्षद बनी हॅू, उसी से सम्बन्धित जनता प्रतिदिन शिकायत करती है।

सभापति महाप्रबन्धक जल कल जलापूर्ति सम्बन्धित शिकायत का निस्तारण करने का निर्देश दिया।

सभापति ने कहा कि जब मै 1995 में पार्षद बनी तो टी0बी0 हो गयी, 2017 में महापौर बनी तो शुगर हो गयी, जब 2023 में पुनः महापौर निर्वाचित हुई तो अब नींद नहीं आ रही है।

श्री देवेन्द्र द्विवेदी ने कहा कि कूड़ा गाड़ियॉ मजबूत खरीदी जाये, तभी स्वास्थ्य विभाग का कार्य पूरा हो सकता है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि सी0पी0डब्ल्यू0डी0 की गाइड लाईन पालन कराये जाने का सुझाव दिया गया।

सभापति ने कहा कि 23 जनवरी 2023 को मेरा पिछला कार्यकाल पूरा हो गया, उसके उपरान्त शासन द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर आयुक्त एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी सहित 03 लोगो की कमिटी बनायी गयी। ऐसी कौन सी आवश्यकता थी, कि टेण्डर जारी किया गया ?

श्री मनीष अवस्थी, मुख्य अभियन्ता ने स्पष्ट किया शासन की गाइड लाइन का पालन किया जा रहा है, 07 दिन, 14 दिन, 21 दिन की प्रक्रिया है।

श्री अनिरूद्ध सिंह बारातशालाओं को निजी एजेन्सियों द्वारा चलाये जाने का प्रस्ताव लाया गया।

सभापति ने कहा कि जब पूरे शहर के बारातशालाओं का प्रस्ताव लाया जाये। पार्षद भी अपने क्षेत्र के सामुदायिक केन्द्र से किराया नहीं ले सकते, जो गरीब लोग है वो अपने कार्य करा सके। बारातशाला का किराया ले सकते है, जो सरकार की मंशा के अनुरूप सामुदायिक केन्द्र बना है। बहन मायावती जी, मा0 मुख्यमंत्री के समय उजियारीपुरवा में तीन मंजिल का सामुदायिक केन्द्र बना है। अगर अधिनियम में है, तो शामिल कराकर प्रस्तुत करें।

नगर आयुक्त ने मा0 कार्यकारिणी समिति को अवगत कराया सी0यू0जी0एल0 (सेन्ट्रल यू0पी0 गैस लिमिटेड) ने प्रस्ताव दिया है कि इन्हें भौती, पनकी स्थित 110 एकड़ भूमि में से 10 एकड़ भूमि चाहिए।

उक्त भूमि पर 250 करोड़ की लागत से सी0यू0जी0एल0 प्लान्ट स्थापित करेगा। नगर निगम कूड़ा देगा। सारी व्यवस्था कम्पनी देखेगी। मा0 मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में स्थापित कराया है। उक्त योजना भारत सरकार की सतत योजना के अन्तर्गत है। हमे केवल जमीन देना है।

श्री कृपा नन्द शुक्ला, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा नगर निगम, कानपुर वित्तीय वर्ष 2023–24 का मूल बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि मा0 सभापति महोदया, मा0 उप सभापति एवं कार्यकारिणी के समस्त मा0 सदस्यगंण आप सभी के समक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 का मूल बजट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत बजट जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा पूर्व स्वीकृति से कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मा0 कार्यकारिणी समिति से यह अनुरोध है कि प्रस्तुत बजट उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु मूल बजट प्रस्तावित आय रू0–1605.79 करोड़, प्रारम्भिक अवशेष रू0–302.52 करोड़ सहित कुल प्रस्तावित धनराशि रू0–1908.31 करोड़ का है। इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु प्रस्तावित व्यय रू0–1605.08 करोड़, अन्तिम अवशेष रू0–303.23 करोड़ सहित कुल प्रस्तावित धनराशि रू0–1908.31 करोड़ का है, जिस पर अपना अमूल्य सहमति व स्वीकृति देते हुए मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ अग्रेषित करनें का कष्ट करें।

नगर निगम निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित बजट में आय एवं व्यय पक्ष मे प्रमुख मदों मे गत वर्ष की तुलना में किये गये प्रस्तावित संशोधन/अनुमानों का एक संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–

	आय पक्ष		(धनराशि करोड़ में)
क्रं0 सं0	मद	पुनरीक्षित बजट 22–23	प्रस्तावित बजट 23–24
1	करों से आय	249.12	275.12
2	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से	3.23	9.53
3	लाइसेन्स शुल्क वाहन किराया आदि	1.50	2.00
4	मलवा शुल्क से आय	3.00	4.00
5	नामान्तरण शुल्क से आय	15.00	20.00
6	विज्ञापन शुल्क/स्थल किराय	4.00	8.00
7	पार्किंग शुल्क से आय	1.75	1.00
8	निविदा प्रकाशनों से बिक्री	0.40	0.80
9	ब्याज से आय	5.00	6.00
	व्यय–पक्ष		(धनराशि करोड़ में)
		पुनरीक्षित बजट 22–23	प्रस्तावित बजट 23–24
1	बिजली एवं ईएसएसएल पर व्यय	4.00	6.00
2	डीजल/पेट्रोल एवं गैस व्यय	43.00	46.00
3	सड़क अनुरक्षण पर व्यय	60.00	66.67
4	यातायात संकेत अनुरक्षण पर व्यय	1.50	3.00
5	सड़क मरम्मत उद्योग बन्धु पर व्यय	8.00	12.00
6	खेल सामग्रियों पर व्यय	0.25	1.00

7	सार्वजनिक शौंचालय	1.00	2.00
8	लेदर क्रोमियम निस्तारण	4.00	5.00
9	अन्य अनुरक्षण	10.00	15.00
10	पार्को का रख–रखाव पर व्यय	6.00	13.33
11	आकस्मिक व्यय	15.00	20.00

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष इस बिन्दु को रेखांकित करना आवश्यक है कि प्रस्तुत बजट प्रस्ताव नगर निगम की अनुमानित आय के दृष्टिगत है।

मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2023 मे मूल बजट वित्तीय वर्ष 2023–24 पर हुई चर्चा मे मा0 कार्यकारिणी एवं मा0 महापौर महोदया द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम मे प्रस्तुत बजट मे नगर निगम निधि के अन्तर्गत निम्नलिखत संशोधन प्रस्तावित है–

धनराशि लाख मे

क्र0	मद का नाम	प्रस्तावित बजट (2023–24)	संशोधित प्रस्तावित बजट (2023–24)	बजट मे वृद्धि / कमी
1	मा0 कक्ष समिति विकास निधि मा0 महापौर से अनुमोदन उपरान्त (रू0–25 लाख प्रति सदस्य) 110+12 कुल 122 सदस्य	00.00	3050.00	+ 3050.00
2	शिक्षण संस्थानों का रख–रखाव	35.00	185.00	+ 150.00
3	सड़क अनुरक्षण	6666.50	5666.50	– 1000.00
4	पार्कों का रख–रखाव	1333.00	600.00	– 733.00
5	पेंशन	14000.00	12533.00	– 1467.00
	कुल	**22034.50**	**22034.50**	**00.00**

अतः उपरोक्तानुसार बजट प्रस्तावों मे संशोधन उपरान्त संशोधित बजट वित्तीय वर्ष 2023–24 तैयार कर दाहिनीं ओर संलग्न है। सहमत होने की दशा मे कृपया हस्ताक्षर उपरान्त मा0 महापौर महोदया को अग्रसारित करनें का कष्ट करें।

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	**Account Head**	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2021–22 तक	पुनरीक्षित धनराशि 2022–23	वास्तविक आय दिसम्बर 2022 तक	प्रस्तावित धनराशि 2023–24
	Revenue Income		राजस्व आय	–				
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	20225.67	24912.50	11187.87	27512.50
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	272.77	323.00	232.46	953.00
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्को से आय	3-4	2376.55	3446.05	2138.07	4542.95
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाडे से आय	4	66.04	107.65	27.02	148.40
1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	5	0.00	0.20	3.38	10.10
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	581.16	502.60	406.48	602.50

1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	426.68	728.30	264.34	768.30
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	5	37393.72	41080.20	32651.29	45650.20
	TOTAL -(A)		**योग (अ)**	**5**	**61342.59**	**71100.50**	**46910.90**	**80187.95**
	Capital Income		**पूँजीगत आय**	-				
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	6	13860.90	23300.00	16124.92	27101.00
3111	Infrastructure Fund KDA,Awas Vikas	3111	अवस्थापना निधि,विकास प्रधिकरण,आवास विकास	6	2025.42	2750.00	1890.00	4000.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6	1224.06	2066.00	397.37	6066.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	6	0.00	0.00	0.00	4.00
3304	eipts	3304	म्यूनिसिपल बाण्ड से प्राप्तियां	7	0.00	0.00	0.00	15350.00
	TOTAL -B-		**योग (ब)**	**7**	**17110.37**	**28116.00**	**18412.30**	**52521.00**
	TOTAL (A+B)		**योग (अ+ब)**	**7**	**78452.97**	**99216.50**	**65323.20**	**132708.95**
	Reserve Fund (Transfer & Adjustments)		**रिजर्व फण्ड (हस्तान्तरण एंव समायोजन)**					
3111	State Finance Commission Adjustment (DLB)	3111	राज्य वित्त आयोग समायोजन (डीएलबी)		23174.38	0.10	0.00	16950.00
3111	AMRUT/ Smart City Etc	3111	अमृत / कानपुर स्मार्ट सिटी / आदि	7	5124.31	300.00	40.05	10920.00
	TOTAL -C-		**योग (स)**	**7**	**28298.69**	**300.10**	**40.05**	**27870.00**
	Total Revenue, Capital & Reserve fund Income A +B+ C		**कुल राजस्व,पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)**	**7**	**106751.66**	**99516.60**	**65363.25**	**160578.95**
4502	Opening Balance	4502	**प्रारम्भिक अवशेषः–**	7	48780.66	39713.57	45022.58	30252.32
	Grand Total		**महायोग**	**7**	**155532.32**	**139230.17**	**110385.82**	**190831.27**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	**Account Head**	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2021–22 तक	पुनरीक्षित धनराशि 2022–23	वास्तविक व्यय दिसम्बर 2022 तक	प्रस्तावित धनराशि 2023–24
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय	–				
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	8	42017.96	53561.10	33521.40	49239.20
2201	Administrative	2201	प्रशासनिक व्यय	8-9	3238.20	3360.25	2759.85	3614.25

	Expenses							
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	9-11	15550.20	20339.50	14757.09	24826.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	11	676.20	754.50	3.79	754.50
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	11-12	888.28	1252.50	824.89	1252.50
	TOTAL -D-		**योग (द)**	**12**	**62370.84**	**79267.85**	**51867.02**	**79686.45**
	Capital expenses		**पूँजीगत व्यय**					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	13	16686.15	23150.00	15184.58	26900.00
3111	Infrastructure Fund, KDA & Awas Vikas	3111	अवस्थापना निधि,विकास प्रधिकरण,आवास विकास	13	522.04	2750.00	1401.50	4000.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	14	1302.81	2690.00	960.04	6690.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	14	0.00	0.00	0.00	4.00
4608	Municipal Bond Payments	4608	म्यूनिसिपल बाण्ड हेतु व्यय	14	0.00	0.00	0.00	15350.00
4609	Stock In Hand	4609	अन्तिम रहतिय मे वृद्वि / कमी	14	218.33	0.00	0.00	4.00
	Total -E-		**योग (य)**	14	**18729.33**	**28590.00**	**17546.12**	**52948.00**
	Total -(D+E)		**योग (द+य)**	**14**	**81100.16**	**107857.85**	**69413.13**	**132634.45**
	Reserve Fund (Transfer & Adjustments)		रिजर्व फण्ड (हस्तान्तरण एंव समायोजन)					
3111	State Finance Commission Adjustment (DLB)	3111	राज्य वित्त आयोग समायोजन (डीएलबी)	14	19954.07	0.00	0.00	16950.00
3111	AMRUT/ Smart City Etc	3111	अमृत / कानपुर सर्माट सिटी / आदि	15	8277.11	1120.00	24.95	10924.00
	TOTAL -F-		**योग (र)**	**15**	**28231.18**	**1120.00**	**24.95**	**27874.00**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)**	**15**	**109331.34**	**108977.85**	**69438.08**	**160508.45**
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	3401	घटायें :– देयतायें / उचन्त खाते	15	-1178.40	0.00	3495.48	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		**शुद्व राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय**	**15**	**110509.74**	**108977.85**	**65942.60**	**160508.45**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :–	15	45022.58	30252.32	44443.22	30322.82
	Grand Total		**महायोग**	**15**	**155532.32**	**139230.17**	**110385.82**	**190831.27**

.... सर्वसम्मति से नगर निगम के मूल बजट 2023–24 के आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 160578.95 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष की धनराशि रू0 30252.32 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 190831.27 .लाख तथा व्यय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 160508.45 लाख एवं अन्तिम अवशेष की धनराशि रू0 30322.82 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 190831.27 लाख को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

श्री राजीव कुमार सिंह, वित्त नियंत्रक ने जल कल 2023–24 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि जलकल विभाग की राजस्व आय जलकर, सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार पर आधारित है। इन मदों में प्राप्त राजस्व आय से ही नगर की जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था से आच्छादित वार्डों का संचालन व रख–रखाव किया जाता है। प्राप्त राजस्व आय से कर्मचारियों के वेतन/पेंशन का भुगतान कर शेष प्राप्त राजस्व आय को आवश्यक सेवाओं के संचालन एवं रख–रखाव मद पर व्यय किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रस्तावित बजट में राजस्व आय रू0 180.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है जो कि विगत वर्ष के रू0 154.23 करोड़ से रू0 25.77 करोड़ अधिक है। राजस्व एवं पूंजीगत व्यय जिसमें अधिष्ठान व्यय, पूर्तियां, रख–रखाव एवं अन्य व्यय सम्मिलित है में. रू0 177.44 करोड़ का प्रविधान किया गया है जो विगत वर्ष रू0 172.23 करोड़ से रू0 5.21 करोड़ अधिक है। संचालन व्यय के अन्तर्गत मदवार प्राविधानित व्यय का विवरण बजट पृष्ठ सं0 3, 4, 5, 6 पर है।

कार्य विशेष निधियां आय में पन्द्रहवॉं वित्त आयोग, के0डी0ए0 फण्ड एवं अवस्थापना निधि से रू0 72.00 करोड़ तथा विद्युत व्यय हेतु शासकीय अनुदान रू0 45.00 करोड़ सहित कुल धनराशि रू0 117.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। कार्य विशेष निधियां व्यय के मद में रू 117.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसका विवरण पृष्ठ संख्या–02 पर है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 का मदवार बजट प्रस्ताव कुल आय रू0 297.00 करोड़ एवं व्यय रू0 294.44 करोड़ का स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

(रू0 लाख में)

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2023–24

Account Code	S.N	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	वास्तविक आय 2021–22	प्रस्तावित आय 2022–23	वास्तविक आय दिसम्बर, 2022	प्रस्तावित आय 2023–24
	A	**Revenue Income**	_	राजस्व आय –				
1100201		Water Tax	1100201	जलकर	7093.89	8650.00	4363.00	10140.00
1501011		Additional Water Charge/Minimum Charge	1501011	अतिरिक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1856.32	2810.00	954.68	3200.00
1100301		Sewer Tax and minimum charges	1100301	सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	2842.74	3750.00	1638.09	4400.00
1408002		Other receipts	1408002	अन्य प्राप्तियॉ	28.88	31.00	24.03	35.00
1408001		Surcharge	1408001	अधिभार	16.86	25.00	35.06	45.00

1401502		Regularization	1401502	नियमितीकरण	8.20	22.00	21.36	25.00
1401401		Development Charge	1401401	विकास शुल्क	50.41	135.00	80.06	155.00
		Total Revenue Income		**योग राजस्व आय–**	**11897.30**	**15423.00**	**7116.28**	**18000.00**
3111000	**B**	**Earmarked Fund**	_	कार्य विशेष निधियां				
		Deposit work	3111301	डिपाजिट कार्य				
3111001	**1**	MP/MLA Fund		सांसद / विधायक निधि	345.97	400.00	346.36	450.00
3111002	**2**	Infrastructure Fund		अवस्थापना निधि	0.00	100.00	0.00	100.00
3111003	**3**	K.N.N. Scheme		के0एन0एन0 योजना	0.00	50.00	0.00	50.00
3111004	**4**	KDA Fund		के0डी0ए0 फण्ड	28.00	800.00	0.00	850.00
3111005	**5**	14th/15th Finance Commission		14वां / 15वां वित्त आयोग	2500.00	4000.00	2613.45	5650.00
3111006	**6**	State Finance Commission		राज्य वित्त आयोग	0.00	100.00	0.00	100.00
3112301	**7**	Grant(Power & Expenses)	3112301	अनुदान (विधुत एवं व्यय)	4775.21	4200.00	0.00	4500.00
		Total Capital Income		**योग पूंजीगत आय–**	**7649.18**	**9650.00**	**2959.81**	**11700.00**
	C	Salary Grant(5th State Finance Commission)		वेतन अनुदान (पंचम राज्य वित्त आयोग)	3600.00	3600.00	0.00	0.00
		Sum(A+B+C)		**योग–(क+ख+ग)**	**23146.48**	**28673.00**	**10076.09**	**29700.00**
		Opening Balance		प्रारम्भिक अवशेष	6312.76	4799.00	4206.63	6644.00
		Grand Total		**महायोग –**	**29459.24**	**33472.00**	**14282.72**	**36344.00**

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर								
प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2023–24								
							(रू0 लाख में)	
Account Code	**S.N.**	**Account Head**	लेखा शीर्षक	लेखा मद	वास्तविक व्यय 2021–22	प्रस्तावित व्यय 2022–23	वास्तविक व्यय दिसम्बर, 2022	प्रस्तावित व्यय 2023–24
	A	**Revenue Expenditure**	_	राजस्व व्यय –				
2101001	1	Establishment Expenses	2101001	अधिष्ठान व्यय	11692.88	13742.00	7400.07	11445.00
2303004	2	Supplies of Material	2303004	सामग्रियों की आपूर्ति	560.86	990.00	339.20	1222.00

2308007	3	Administrative Expenses	2308007	प्रशासनिक व्यय	124.00		140.00		62.65		250.00
2305006	4	Operation & Maintenance	2305006	संचालन एवं रख–रखाव व्यय	1511.45		1820.00		1377.03		3470.00
2208003	5	Expenses General Tax (Adjustment)	2208003	जनरल टैक्स (समायोजन)	0.00		400.00		0.00		200.00
		Total Revenue Expenditure		**योग राजस्व व्यय–**	**13889.19**		**17092.00**		**9178.95**		**16587.00**
	B	**Capital Expenditure**		पूंजीगत व्यय –							
4104007	1	Purchase of water measuring instruments	4104007	जल मापक यन्त्रों का क्रय	0.00		5.00		0.00		5.00
4106001	2	Purchase of machines and equipment	4106001	मशीनों तथा यन्त्रों का क्रय	23.50		27.00		24.00		27.00
4107001	3	Furniture and computer purchases	4107001	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	14.20		18.00		15.00		100.00
4105001	4	Vehicles, Tractors, Tanker purchases	4105001	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	0.00		0.00		0.00		100.00
4102001	5	Building construction and land	4102001	भवन निर्माण एवं भूमि	19.80		25.00		23.00		100.00
4107006	6	Contigent capital expenditure	4107006	आकस्मिक पूंजीगत व्यय	0.00		6.00		0.00		50.00
4103101	7	Laying of new pipelines (water)	4103101	नई नलिकायें बिछाना (जल)	19.10		25.00		24.50		350.00
4103102	8	Laying of new pipelines (sewer)	4103102	नई नलिकायें बिछाना (सीवर)	0.00		0.00		0.00		350.00
4104003	9	Purchase of new pumping/motor pump	4104003	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	19.80		25.00		24.30		75.00
		Total Capital Expenses		**योग पूंजीगत व्यय –**	**96.40**		**131.00**		**110.80**		**1157.00**
		Total Revenue & Capital Expenses		**योग राजस्व एवं पूंजीगत व्यय –**	**13985.59**		**17223.00**		**9289.75**		**17744.00**
3111000	**C**	**Earmarked Fund**	3111000	कार्य विशेष निधियां							
		Deposit work		डिपाजिट कार्य							
3111001	1	MP/MLA Fund	3111001	सांसद/विधायक निधि	365.36		400.00		169.44		450.00
3111002	2	Infrastructure Fund	3111002	अवस्थापना निधि	8.25		100.00		0.00		100.00
3111003	3	K.N.N. Scheme	3111003	के0एन0एन0 योजना	26.30		50.00		2.98		50.00
3111004	4	KDA Fund	3111004	के0डी0ए0 फण्ड	462.08		800.00		376.29		850.00
3111005	5	14th/15th Finance Commission	3111005	14वां/15वां वित्त आयोग	1643.08		4000.00		4194.23		5650.00
3111006	6	State Finance Commission	3111006	राज्य वित्त आयोग	4.17		100.00		0.00		100.00
31120301	7	Grant (Power & Expenditure)	31120301	अनुदान (विधुत एवं व्यय)	4775.21		4200.00		0.00		4500.00

		Total Expenditure		कुल व्यय –	**7284.45**		**9650.00**		**4742.94**		**11700.00**
		Grand Total (A+B+C) Expenses		कुल योग (अ+ब+स) व्यय	**21270.04**		**26873.00**		**14032.69**		**29444.00**
		Closing Balance		अन्तिम अवशेष	8189.20		6599.00		250.03		6900.00
		Grand Total		महायोग	**29459.24**		**33472.00**		**14282.72**		**36344.00**

.... सर्वसम्मति से जलकल विभाग के मूल बजट 2023–24 के आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 29700.00 लाख, प्रारम्भिक अवशेष धनराशि रू0 6644.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 36344.00 तथा व्यय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 29444.00 लाख, अन्तिम अवशेष की धनराशि रू0 6900.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 36344.00 को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–2</u>

श्री अरिदमन सिंह, एडवोकेट, पूर्व मंत्री कानपुर एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रार्थी अरिदमन सिंह एडवोकेट पूर्व मंत्री कानपुर बार एसोसिएशन व पूर्व महामंत्री डी0सी0 लॉ कॉलेज कानपुर विश्वविध्यालय चेम्बर नं0 एस 17 प्रथम तल न्यू बिल्डिंग शताब्दी गेट नं0 3 सिविल कोर्ट कंपाउंड सिविल लाइन कानपुर नगर। वार्ड नंबर 74 श्याम नगर स्थित एमआइजी 623 डी व 628 डी ब्लॉक के बीच वाली गली जो कि गली अनुमानित 20 फिट चौड़ी व 70 फिट लम्बी होगी। उक्त गली काफी ऊबड़ खाबड़ है, जहां बरसात में पानी भर जाता है। जिस कारण मच्छर व कीड़े पैदा हो जाते है। आम जन मानस के स्वास्थ के लिए खतरनाक साबित होता है तथा ऊबड़ खाबड़ होने के कारण बच्चे आते–जाते, खेलते समय गिर कर चोटिल हो जाते है। आम जनमानस, बच्चों व बुजुर्गों को आने जाने में काफी दिक्कतों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

आम जनमानस, बच्चों व बुजुर्गों को आने जाने में काफी दिक्कतों व परेशानियों दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उक्त कानपुर नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 74 श्याम नगर स्थित एमआइजी 623 डी व 628 डी ब्लॉक के बीच वाली गली का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि कानपुर नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 74 श्याम नगर स्थित एमआइजी 623 डी व 628 डी ब्लॉक के बीच वाली गली का निर्माण करा कर, गली का नामकरण कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री के पूज्य पिता स्व0 श्री मोहन सिंह जी के नाम कराये जाने कृपा करें।

.............परीक्षण करा लें यदि गली का नामकरण नहीं है, तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>प्रस्ताव संख्याः–3</u>

नगर आयुक्त महोदय कार्यालय के पत्र संख्या– 336/3/प दिनांक 30.06.2023 को अधिनियम की धारा 148 एवं 221 के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित

<u>प्रस्ताव</u>

नगर निगम सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) की दरें विगत वर्षो की भॉति वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु निम्न प्रकार से प्रस्तावित है :–

नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के ऐसे भवन स्वामी / अध्यासी जिनके द्वारा प्रति वर्ष नियमित रूप से नगर निगम का गृहकर भुगतान किया जाता है, के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम के वसूली अभियान में गति लाने तथा ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु मा0 सदन की समयावधि समाप्ति होने एवं नई मा0 सदन के गठन न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 तक इन करदाताओं को प्रोत्साहित करने एवं नगर निगम की सतत् राजस्व वसूली को दृष्टिगत रखते हुये, तत्समय जिलाधिकारी / प्रशासक महोदय के अनुमोदनोपरान्त 10 प्रतिशत छूट प्रदान की गई, पर मा0 कार्यकारिणी एवं मा0 सदन की स्वीकृति एवं तदोपरान्त नगर आयुक्त को प्रत्येक माह एक–एक माह के लिये अधिकतम माह दिसम्बर 2023 तक के लिये 10 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी एवं मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

...............तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 4</u>

श्री पवन गुप्ता, पार्षद, वार्ड –37 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

मेरे वार्ड –37 अशोक नगर में आने वाले कमला नेहरू पार्क के पास फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले को नगर निगम मानक के स्वरूप दुकानें आवंटित की जाये तथा इनसे राजस्व लिया जाये।

......................जोनल अधिकारी, जोन–4 जॉच कराकर अवगत कराये कि कमला नेहरू पार्क के बाहर दुकान लगाने वालो से यूजर क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 5</u>

श्री पवन गुप्ता, पार्षद, वार्ड –37 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

मेरे वार्ड–37 अशोक नगर में आने वाले उत्सव स्थल बारातशाला बहुत जर्जर हालत में है। कृपया कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति से उत्सव स्थल बारातशाला को डबल स्टोरी बनाने का कष्ट करें।

....................मुख्य अभियन्ता (सिविल) आगणन तैयार कर अगली मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करे।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 5</u>

श्री पवन गुप्ता, पार्षद, वार्ड –37 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

एम0 जी0 इण्टर कॉलेज, सिविल लाइन्स जो नगर निगम से संचालित है, को निजी स्कूलों की भॉति मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी के समक्ष आया था, जिसमें आप द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त को संज्ञान में लेते हुये मेरे वार्ड अशोक नगर के अन्तर्गत कानपुर का मात्र एक ए0एन0डी0 कॉलेज जो कि नगर निगम से संचालित है, का नाम उ0प्र0 के कॉलेजों मे ंसम्मान से लिया जाता है।

मेरा अनुरोध है ए0एन0डी0 कॉलेज को भी अन्य प्राईवेट कॉलेजों जैसार मॉडल स्वरूप दिया जाये, जिससे अच्छे नजीर मे ंदेखी जाये। यह कॉलेज मात्र बेटियों के लिये है। आप कानपुर महानगर की प्रथम नागरिक है तथा नारी शक्ति का एक बड़ा उदाहरण है। इसलिये आप के कर कमलों द्वारा कराया जाना है।

कृपया उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेते हुये अमृत/स्मार्ट सिटी के मदो से कराये जाने की कृपा करें।

...............तद्नुसार स्मार्ट सिटी से आगणन तैयार कर अगली मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 6</u>

श्रीमती आरती गौतम, पार्षद, वार्ड–18 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

जोन–3 वार्ड–18 के अन्तर्गत कांशीराम कॉलोनी से गुलमोहर स्कूल तक आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।

कांशी राम कॉलोनी से गुलमोहर स्कूल तक नाला ना होने के कारण जलभराव की समस्या हमेशा बनी रहती है। बरसात में आम जनमानस नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाता है।

जनहित को दृष्टिगत रखते हुये उक्त स्थल पर आर0सी0सी0 नाला बनाया जाना अति आवश्यक है।

.............तद्नुसार आगणन तैयार कर अगली मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 7</u>

श्री दीपक शर्मा, पार्षद, वार्ड–98 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

अवगत कराना है कि वार्ड–98 महेश्वरी मोहाल में अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की कार्यस्थली जहॉ क्रान्तिवीर चन्द्रशेखर आजाद व सरदार भगत सिंह का भी आगमन रहता था। वहॉ उनकी याद में गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क स्थापित किया गया था। दुर्भाग्यवश यह पार्क विगत 20 वर्षो से बदहाल व उपेक्षित पड़ा हुआ है। पिछली कार्यकारिणी में प्रस्ताव देने के बाद भी वहॉ कुछ कार्य नहीं हुआ।

अतः आपसे अनुरोध है उक्त पार्क की गरिमा के अनुसार सुन्दरीकरण व देखभाल हेतु माली नियुंक्ति कराने का कष्ट करें।

..................अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क की देखभाल हेतु एक माली आउटसोर्स पर रखने की कार्यवाही करायें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 8

श्री नवीन पंडित, पार्षद, वार्ड–93, श्री विकास जायसवाल, पार्षद, वार्ड–79, श्री दीपक शर्मा, पार्षद, वार्ड–98, श्रीमती आरती गौतम, पार्षद, वार्ड–18, श्री लियाकत अली, पार्षद, वार्ड–71, श्री पवन गुप्ता, पार्षद, वार्ड–37, श्री निदेश सिंह चौहान, पार्षद, वार्ड–47, श्रीमती अंजुली दीक्षित, पार्षद, वार्ड–55, श्री योगेन्द्र शर्मा, वार्ड–65 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

आनन्देश्वर कारिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। सावन का माह जो कि दो माह का होने वाला है, प्रारम्भ होने जा रहा है। नगर निगम द्वारा वनखण्डेश्वर मन्दिर पी0रोड व जागेश्वर मन्दिर नवाबगंज जो कि अत्यन्त प्राचीन मन्दिर है, कृपया इनका सुन्दरीकरण कराकर कानपुर नगर की जनता को सावन माह का उपहार स्वरूप भेंट किये जाने की आवश्यकता हैं, जिससे उक्त कार्य से नगर की जनता अत्यन्त प्रसन्न होगी व नगर निगम की छवि भी अच्छी होगी।

..................तद्नुसार प्रस्ताव तैयार कर अगली मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 8

श्री नीलम बाथम, पार्षद, वार्ड–17, नारामऊ द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

मेरे वार्ड के अन्तर्गत इन्द्रानगर में एक वर्ष पूर्व जिला संघ कार्यालय भवन कैलाश भवन का लोकार्पण हुआ था। उक्त भवन आदरणीय श्री कैलाश शुक्ला उनकी पत्नी निर्मला शुक्ला ने संघ कार्यालय को दान स्वरूप भेंट किया था। उनके इस समर्पण भाव को देखते हुए त्रिभुव पैलेस से संघ कार्यालय (कैलाश भवन का नाम) जा रहे मार्ग का नाम ''कैलाश भवन मार्ग'' किया जाना अपेक्षित है।

............................परीक्षण करा लिया जाये, यदि पूर्व से नामकरण नहीं है, तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 8

विषय : फूलबाग स्थित नेहरू युवा केन्द्र, यूनियन क्लब एवं डी0ए0वी0 ग्राउन्ड को नगर निगम के अन्तर्गत लिये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव।

कृपया अवगत कराना है फूलबाग स्थित नेहरू युवा केन्द्र, यूनियन क्लब एवं डी0ए0वी0 ग्राउन्ड है। संज्ञान में लाया गया है कि नेहरू युवा केन्द्र, यूनियन क्लब की बिल्डिंग एवं डी0ए0वी0 ग्राउन्ड नगर निगम की सम्पत्ति है, जिसे पूर्व में नगर निगम द्वारा लीज पर दिया गया था, जिसकी लीज अवधि भी समाप्त हो गयी है।

अतएव फूलबाग स्थित नेहरू युवा केन्द्र, यूनियन क्लब एवं डी0ए0वी0 ग्राउन्ड की लीज अवधि समाप्ति की जॉच कर नगर निगम द्वारा वापस लिये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि नेहरू युवा केन्द्र, यूनियन क्लब एवं डी0ए0वी ग्राउन्ड को नगर निगम के स्वामित्व में लिया जाये, तो नगर निगम की आय बढ़ेगी।

श्री राजेश गुप्ता, जोनल अधिकारी, जोन–1 ने अवगत कराया कि नेहरू युवा केन्द्र का मा0 न्यायालय में वाद चल रहा है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि नेहरू युवा केन्द्र, यूनियन क्लब की जमीन नजूल की हैं, नगर निगम का स्वामित्व नहीं है। नजूल भूमि का अधिकार पहले जिलाधिकारी में निहित था, अब शासन में अधिकार निहित हो गया है। सिविल लाइन्स स्थित महिला छात्रावास पर हमारा कब्जा है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि जो–जो हमारे स्वामित्व में नहीं है, उसका असिस्मेन्ट करना शुरू कर दे।

श्री अनिरूद्ध सिंह मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने कहा कि बी0पी0 श्रीवास्तव मार्केट नजूल भूमि पर बना हुआ है, नजूल भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, नजूल भूमि के सम्बन्ध में शासन द्वारा नई पालिसी जायेगी, तभी उस पर कोई कार्यवाही की जा सकती है।

सभापति ने कहा कि बी0पी0श्रीवास्तव मार्केट नगर निगम की अरबो की जमीन है, वहॉ से कोई आय नहीं होती है, जबकि लोग वहॉ से लाखो कमा रहे है। मा0 मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजेंगे। हमारी सभी सम्पत्तियों की सूची बनाये। हमारे जो स्कूल है, उनमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एम0जी0 कॉलेज में हमारे बच्चो का प्रवेश नहीं हो पाया। यदि नगर निगम के स्कूलों का जीर्णोद्धार एक स्कूल को कान्वेंट जैसा बना दिया जाये तो उससे अन्य स्कूलों को भी चलाये जाने की प्रेरणा मिलेगी।

....................नेहरू युवा केन्द्र, यूनियन क्लब एवं डी0ए0वी ग्राउन्ड को नगर निगम के स्वामित्व में लिये जाने हेतु शासन को पत्राचार किये जाने के साथ अगली मा0 कार्यकारिणी समिति में अवगत कराये।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 9</u>

श्री सुरेन्द्र मैथानी, विधायक, 212 गोविन्द नगर विधानसभा, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : डबल पुलिया से लोहारन भट्टा जी0टी0 रोड तक जाने वाले नए मार्ग का, जो मेरे द्वारा शासन से स्वीकृत कराकर, निर्माण कराया गया है, उसके नामकरण हेतु पंडित श्याम बिहारी मिश्र मार्ग रखने के सम्बन्ध मे।

संज्ञान मे ंदेना चाहता हॅू कि मेरे द्वारा मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की विशेष अनुकम्पा और कृपा से शासन से अनुमति कराकर अपने गोविन्द नगर विधानसभा अन्तर्गत शास्त्री नगर पाण्डु नगर की नहर पटरी पर बनवाई गयी नवनिर्मित सड़क जो डबल पुलिया से लेकर लोहारन भट्टा जीटी रोड तक जाने वाली सड़क है। उस सड़क के नामकरण हेतु पिछले नगर निगम चुनाव के बाद ही तुरन्त एक पत्र जिसका पत्रांक संख्या 9045/05/2023 दिनांक 30.05.2023 के नाम से कर दिया जाए, क्योंकि पंडित जी कानपुर ही नहीं प्रदेश और देश के बड़े व्यापारी नेता थे और कई बार के सांसद रहे है और कानपुर मे ंसर्वमान्य और लोकप्रियता उनकी चरम पर थी और आज भी है और आज भी आम कानपुर के नागरिकों की संवेदनायें और भावनायें उनसे जुड़ी है, परन्तु पिछले दिनों कोरोना कालखंड में लोगों की सेवा करते हुए वह शहीद हो गये थे। आज वह हमारे बीच मे ंनही ंहै, परन्तु उनके नाम को समाज के लिए प्रेरणा हेतु जिन्दा रखना चाहिए ऐसा मेरा मानना है।

अतः उक्त नामकरण हेतु आपको एक पत्र विगत नगर निगम चुनाव पूर्ण होने उपरान्त तुरन्त ही सौपा था, जिस पर आपने सहस्त्र और स्वीकृति तथा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह अस्वस्थ किया था कि यह प्रस्ताव अच्छा है, जिस पर मैने आपका आभार और कृतज्ञता प्रकट की थी। इसके लिए मै व्यक्तिगत रूप से भी और अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से और कानपुर के व्यापारी समाज की तरफ से भी आपकी सहृदयता के लिये पुनः आपका अभिनन्दन करता हूँ।

इसके सम्बन्ध में होने वाली कार्यकारिणी के बी.जे.पी. के सभी सदस्यों को भी यह पत्र की प्रतिलिपि देकर एवं बी.जे.पी. नेता सदन को भ पत्र की प्रतिलिपि देकर उक्त आग्रह किया है तथा उक्त पत्र का संज्ञान लेते हुए आज यह पत्र पुनः नगर निगम की कार्यकारिणी के पहले आपको देकर आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि उक्त मार्ग का नाम कार्यकारिणी के अन्तर्गत अध्यक्ष के अधिकार में टेबल करके अन्य विषय मे ंशामिल करके उक्त नामकरण कराने का कष्ट करें।

मैं जीवन भर आपका आभारी एवं ऋणी रहूंगा।

......................तद्नुसार डबल पुलिया से लेकर लोहारन भट्टा जीटी रोड तक जाने वाली सड़क ''पंडित श्याम बिहारी मिश्र मार्ग'' के नामकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 10</u>

श्री कौशल मिश्रा, पार्षद, वार्ड– 54 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : जोन–6 वार्ड–54 विनायकपुर आवास विकास–1 केशवपुरम के अन्तर्गत रोड पर बने डिवाइडर के सुन्दरीकरण के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि सनी हॉस्पिटल से लेकर मसवानपुर चौराहे तक एवं सिलेण्डर चौराहे से लेकर शनैश्वर मन्दिर तक लगभग एक से डेढ़ मीटर चौड़ा डिवाइडर है। जो कि सड़क लेबिल तक आ गया है, जिस कारण आये दिन कोई न कोई घटना घट जाती है।

अतः माननीय महापौर जी एवं माननीय कार्यकारिणी जी से अनुरोध है कि जनहित मे हमारा प्रस्ताव पास करने की कृपा करें।

.....................तद्नुसार आगणन तैयार कर अगली कार्यकारिणी समिति बैठक में प्रस्तुत करें।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 11</u>

श्री अभिषेक गुप्ता, पार्षद, वार्ड–101, चौक सर्राफा द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : कानपुर महानगर के अन्तर्गत पेड़ कटिंग के लिये टीमो की नियुक्ति ।

अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम के अन्तरगत आधी, पानी व बहुत लटके हुए पेड़ो कटाई के लिए दो टीमों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है। वर्तमान मे पेड़ कटाई के लिए कोई टीम नगर निगम मे उपलब्ध नहीं है।

अतः स्वीकृति प्रदान करे।

..................**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 12</u>

श्री सन्दीप साहू, पार्षद, वार्ड–70 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : आर0सी0सी0 नाला बनवाने के सम्बन्ध मे।

माननीय महापौर जी जोन–3 वार्ड–70 मे क्षतिग्रस्त नाला है, जो कि पच्चीस साल पुराना है इस नाले से चार वार्डो का पानी निकलता है। जो कि नाला बहुत ही दैनीय स्थिति का है, जिस कारण जल भराव बना रहता है, जिससे कि जो रोड वह सब खराब हो जाती है।

नाले का नाम बर्रा बाई पास से कर्रही बाजार होते हुए हाईटेंषन लाइन तक है।

..................**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में आगणन तैयार कर प्रस्तुत करें।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 13</u>

श्री देवेन्द्र द्विवेदी, पार्षद, वार्ड– 67, श्री विकास जायसवाल, पार्षद, वार्ड–79, श्री दीपक शर्मा, पार्षद, वार्ड–98,, श्री लियाकत अली, पार्षद, वार्ड–71 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : जोन–05 वार्ड 67 बर्रा पश्चिम में पानी की जर्जर टंकी को गिराकर नई टंकी बनाने के सन्दर्भ में।

आपको सादर अवगत कराना है कि वार्ड 67 बर्रा पश्चिम में बनी पानी की टंकी बहुत ही जर्जर अवस्था में है, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। जनहानि से बचने के लिए टंकी को गिराने की अति आवश्यकता है।

अतः आपसे सादर प्रार्थना है कि वार्ड–67 बर्रा 5 की टंकी को गिराकर भूमिगत टैंक बनवाने की कृपा करे जनमानस आपका हृदय से आभारी रहेगा।

....................**तद्नुसार महाप्रबन्धक, जल कल स्थलीय निरीक्षण कराते हुए आख्या सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 14</u>

श्रीमती अंजुली दीक्षित, पार्षद, वार्ड–55, श्री देवेन्द्र द्विवेदी, पार्षद, वार्ड– 67, श्री सौरभ देव, पार्षद, वार्ड–15, श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' पार्षद, वार्ड–101, श्री पवन गुप्ता, पार्षद, वार्ड– 37, श्रीमती आरती गौतम, वार्ड– 18, श्री योगेन्द्र शर्मा, पार्षद, वार्ड–65 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : गुजैनी वार्ड 55 दबौली वार्ड 72 के बीच की पुलिया के चौड़ीकरण व मरम्मत के विषय में।

महोदय उपरोक्त पुलिया तीन मीटर चौड़ी व जीर्ण शीर्ण हालत में है। इसका निर्माण 40 वर्ष पूर्व किया गया था अब इसका चौड़ीकरण अति आवश्यक है। परन्तु पिछले 06 वर्षो से यह काम सिचाई

विभाग का बताकर टाला जा रहा है। यह काम सिंचाई विभाग से एन0ओ0सी0 लाकर नगर निगम द्वारा कराया जा सकता है। कृपा करके इसे कार्यकारिणी में सम्मिलित करवाने की कृपा करें।

......................स्थलीय निरीक्षण कराते हुए सिंचाई विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त करते हुए आगणन तैयार कर अगली मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 15

श्री गोविन्द मोहन शुक्ला, पार्षद, वार्ड–59 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : जोन–4 सीसामऊ उत्तरी वार्ड–59 में स्थित नगर निगम बारातशाला चलाने के सम्बन्ध मे।

मुझे सीसामऊ उत्तरी वार्ड–59 में स्थित नगर निगम बारातशाला जिसमें अत्यन्त गरीब, दलित व पिछड़े लोगों की शादी विवाह आदि कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसें वर्तमान मे ंनगर निगम में नोटित चस्पा करके बन्द कर दिया है।

अतः आपसे निवेदन है कि नगर निगम द्वारा शुल्क निर्धारित कराते हुए इसे पुनः प्रारम्भ करने की कृपा करें, जिससे गरीब जनता को लाभ मिल सके।

...............तद्नुसार मुख्य अभियन्ता ''सिविल'' एवं प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 16

श्री सन्तोष साहू, पार्षद, वार्ड– 70, श्री पवन गुप्ता, वार्ड– 37, श्री लियाकत अली, पार्षद, वार्ड–71, श्री विकास जायसवाल, पार्षद, वार्ड–79, श्रीमती अंजुली दीक्षित,पार्षद, वार्ड–55, श्री निर्देश सिंह चौहान,पार्षद, वार्ड–47 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : कर्रही बाजार का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में।

जोन–3 वार्ड–70 कर्रही के अन्तर्गत कानपुर दक्षिण की कर्रही बाजार सबसे बड़ी बाजार है बाजार के रोड और नाले व साइड इंटरलाकिंग व शौचालय व टायलेट और लाईट की व्यवस्था नहीं है आपसे निवेदन है कि कर्रही बाजार का सौन्दर्यीकरण कराने की कृपा करें।

....................तद्नुसार आगणन तैयार कर अगली मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 17

श्रीमती आरती गौतम, पार्षद, वार्ड– 18 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : जोन–3 वार्ड18 के अन्तर्गत CNG पेट्रोल पम्प के पीछे कल्याणपुर मंदिर से मौरंग मंडी नौबस्ता तक जल भराव से निजात हेतु क्षतिग्रस्त मार्ग का उच्चीकरण कर सुधार एवं नाले के सुधार कार्य के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना चाहती है कि कल्याणेश्वर मंदिर से मौरंग मंडी तक नाला व सड़क क्षतिग्रस्त व नीचा होने के कारण हमेशा जल भराव बना रहता है, जिसके कारण आम जनमानस के घरो

में भी पानी भर जाता है। लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है मुख्य अभियंता महोदय द्वारा भी निरीक्षण के दौरान यह समस्या देखी गई थी।

अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का उच्चीकरण कर मार्ग का सुधार कार्य एवं नाले का सुधार कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

................तद्नुसार आगणन तैयार कर अगली मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करें।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 18</u>

श्री हरि ओम वाल्मीकि, महामंत्री, कर्मचारी संयुक्त संघ के द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : कानपुर नगर निगम व जलकल विभाग में कार्यरत संविदा/एवजदार (मार्ग प्रकाश) एवं समस्त आउटसोर्सिंग कर्मियों की आकस्मिक दुर्घटना व मृत्यु होने पर अनुदान स्वरूप बीमा धनराशि रू0 5,00,000/–स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संघ आपका ध्यान कानपुर नगर निगम में कार्यरत संविदा एवजदार व आउटसोर्सिंग कर्मियों की ओर आकर्षित करना चाहता है। जो पूरी लगन, निष्ठा व ईमानदारी से कार्य को सम्पादित करते है, परन्तु इन कर्मचारियों के साथ्ज्ञ आकस्मिक दुर्घटना व मृत्यु होने के उपरान्त कोई अनुदान व बीमा धनराशि प्राप्त न होने के कारण इनके परिवार के लोगों को कर्जा इत्यादि लेकर इनका अन्तिम संस्कार व अन्य कार्यक्रम तथा परिवार का पालन करने में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो कि अत्याधिक खेद का विषय है।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि जैसे गाड़ी चालक, माली, सफाई कर्मचारी, कम्प्यूटर आपरेटर, एवजदार (मार्ग प्रकाश) व अन्य आउटसोर्सिंग कर्मी जो सरकारी कार्य के दौरान दुर्घटना/मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप इन कर्मियों को अनुदान व बीमा धनराशि प्राप्त नहीं हो पाती है।

अतः संघ आपसे अनुरोध के साथ प्रार्थना करता है कि कानपुर नगर निगम/जलकल विभाग में उपरोक्त कर्मियों की दुर्घटना व आकस्मिक मृत्यु होने पर अनुदान स्वरूप बीमा की राशि रू0 5,00,000/– करने व समस्त कर्मियों का बीमा कार्ड दिलाये जाने की कृपा करें।

..............तद्नुसार शासनादेश में उल्लिखित नियमों का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के साथ मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 19</u>

श्री हरि ओम वाल्मीकि, महामंत्री, कर्मचारी संयुक्त संघ के द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : कानपुर नगर निगम एवं जलकल विभाग में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों का गृहकर व जलकर अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संघ आपका ध्यान कानपुर नगर निगम तथा जलकल संस्थान में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के गृहकर व जलकर अवमुक्त करने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता है । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ नगर निगम एवं आगरा नगर

निगम के कार्यरत एव सेवानिवृत्त कर्मचारियों का गृहकर व जलकर अवमुक्त है, जो कि मान्नीय सदन द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में सदन की पूर्व में भी स्वीकृति प्राप्त है। परन्तु नगर निगम कानपुर एवं जल संस्थान कानपुर नगर के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

अतः संघ आपसे अनुरोध करता है कि लखनऊ नगर निगम एवं आगरा नगर निगम की भाँति कानपुर नगर निगम के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भी गृहकर एवं जलकर अवमुक्त किया जाए।

................परीक्षण करा लिया जाये, यदि सभी अन्य 16 नगर निगमों में छूट दी जा रही हो तो नगर निगम कानपुर में भी छूट दिये जाने की कार्यवाही कराये जाने के साथ मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 20</u>

प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप) एवं नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

वर्तमान में नगर निगम कानपुर के पास इनोवा गाड़ी संख्या– 0752 जो कि नगर आयुक्त महोदय को आवंटित है। उक्त गाड़ी वर्तमान समय में काफी पुरानी होने के कारण मरम्मत में काफी व्यय करना पड़ रहा है।

अतः उक्त गाड़ी के स्थान पर एक नयी इनोवा गाड़ी नगर निगम निधि से क्रय करने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित।

................स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 21</u>

प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप) एवं नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

वर्तमान में नगर निगम कानपुर के पास इनोवा गाड़ी संख्या– 0756 जो कि माननीय महापौर महोदया को आवंटित है। उक्त गाड़ी वर्तमान समय में काफी पुरानी होने के कारण मरम्मत में काफी व्यय करना पड़ रहा है।

अतः उक्त गाड़ी के स्थान पर एक नयी इनोवा गाड़ी नगर निगम निधि से क्रय करने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित।

. **..............स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 22</u>

प्रभारी अधिकारी विज्ञापन, नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा चिन्हित विज्ञापन स्थलों से भिन्न स्थलों पर अवैध विज्ञापन पटों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। उक्त विज्ञापन एजेन्सियों

द्वारा नगर निगम विज्ञापन विभाग को राजस्व (विज्ञापन–शुल्क) को प्रदत्त करके विज्ञापन पटों के द्वारा समस्त शहर के मौलिक स्वरूप एवं सौन्दर्यीकरण को भी क्षति हो रही है। इस विषयक में मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ हेतु यह प्रस्ताव है कि उक्त अवैध विज्ञापन–पटों को हटाने का कार्य किसी फर्म/एजेन्सी को प्रदत्त कर दिया जाये। उक्त विज्ञापन पटों को हटाने पर प्राप्त होने वाली निष्क्रिय लौह–सामग्री के विक्रय से प्राप्त होने वाली राजस्व के 80 प्रतिशत राजस्व को विज्ञापन–पट हटाने वाली फर्म/एजेन्सी को विज्ञापन पटों को हटाने में आने वाले व्यय के रूप में प्रदत्त कर दिया जाये एवं 20 प्रतिशत राजस्व को नगर निगम कोष में अवैध विज्ञापन पटों को हटाने वाली फर्म/एजेन्सी द्वारा नगर निगम कोष मे ंजमा करा दिया जायें। इस प्रस्ताव से नगर निगम को अवैध विज्ञापन–पटों को हटाने में होन वाले राजस्व क्षति से भी बचाया जा सकेगा एवं नगर निगम की आय में वृद्धि भी हो सकेगी।

अतएव उपरोक्त उल्लेखित प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि प्रस्ताव के पहले आप जब तक पूरा शहर अवैध होर्डिग्स से मुक्त करायेगें, तब तक कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। पूरे शहर का एक टेण्डर होगा, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा, उसे दिया जायेगा। लखनऊ नगर निगम मे ं12 करोड़ विज्ञापन कर वसूला जाता है, कानपुर का 04 करोड़ क्यो है, बीच का पैसा किसके पास जाता है। मैने पिछले कार्यकाल में विज्ञापन नियमावली पास करायी। यूनीपोल 2–2 लाख किराये के है। अवैध होर्डिग्स हटाये जाने हेतु प्रस्ताव सही है।

...................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 23</u>

मुख्य अभियन्ता (सिविल), नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

कृपया कानपुर नगर निगम में अवर अभियन्ता के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष पदस्थ अवर अभियन्ताओं की संख्या अत्यधिक कम है। वर्तमान में शहर काफी विस्तृत और कार्यक्षेत्र बढ़ जाने के कारण कार्यहित में विभिन्न अभियन्त्रण खण्डों मे ं10 अवर अभियन्ताओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से पदस्थ किये जाने हेतु निर्णयार्थ/स्वीकृतार्थ मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है :–

तत्क्रम में उपरोक्तानुसार विभिन्न अभियन्त्रण खण्डों हेतु 10 अवर अभियन्ताओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से पदस्थ किये जोन हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मुख्य अभियन्ता ''सिविल'' ने अवगत कराया कि अभियन्त्रण विभाग में 60 अवर अभियन्ता के पद है। सृजित पदों के सापेक्ष मात्र 13 अवर अभियन्ता कार्यरत है, जिसमें 02 अवर अभियन्ता अंडर ट्रांसफर है। जोन –02 में कार्यरत एक अवर अभियन्ता को मलेरिया हो गया है। हम किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते है।

..........तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 24</u>

प्रभारी अधिकारी कैटिल कैचिंग, नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

पत्रांक :– डी/ 302 बी /कै0कै0/23–24 दिनांक :–04/07/2023

<u>मा0 कार्यकारिणी हेतु टेबल प्रस्ताव</u>

<u>कान्हा उपवन किशनपुर के पास पड़ी रिक्त भूमि पर डॉग केयर सेंटर का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव</u>

वर्तमान में जनप्रतिनिधियों, सामान्य नागरिको एवं विभिन्न माध्यमों से पागल श्वानों, मानव एवं श्वानों के बीच संघर्ष की शिकायते प्राप्त हो रही है, जिसमें आवारा श्वानो को क्षेत्र से हटाये जाने हेतु कहा गया है, जिसे समाधान हेतु एक डॉग केयर सेन्टर की अत्यंत आवश्यकता है। शासन स्तर से भी नगर निगमो में डॉग केयर सेन्टर का निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये गये है। कान्हा गौशाला, किशनपुर के पास पड़ी रिक्त भूमि पर एक डॉग केयर सेन्टर की स्थापना कराया जा सकता है। डॉग केयर सेन्टर की स्थापना पर लगभग 01 करोड़ का व्यय अनुमानित है, जहॉ पर 400 श्वानो को संरक्षित करने एवं उनकी देखभाल की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

.........तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 25</u>

प्रभारी अधिकारी कैटिल कैचिंग एवं नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

पत्रांक :– डी/ 302 ए /कै0कै0/23–24 दिनांक :–04/07/2023

<u>मा0 कार्यकारिणी हेतु टेबल प्रस्ताव</u>

<u>नगर निगम सीमा में विभिन्न प्रजाति के बिल्लियों को पालने पर रजिस्ट्रेशन कराये जाने का प्रस्ताव</u>

नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की बिल्लियों को पालने का प्रचलन बड़ रहा है। नगर निगम सीमान्तर्गत निवास कर रहे नागरिको द्वारा देशी/विदेशी नस्लो की बिल्लियो को बिना मानक के संरक्षित किया जा रहा है, जिससे पड़ोसियो/मोहल्ले वासियो को विभिन्न कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम अधिनियम 1959 में लाइसेन्स लिये जाने का प्राविधान है। नगर निगम क्षेत्र में बिल्लियो को पालने हेतु नगर निगम कानपुर से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त प्रजाति की बिल्लियो को पालने हेतु प्रति बिल्ली धनराशि रू0 300.00 रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया गया है। निरीक्षण के समय बिल्ली का लाइसेन्स न दिखाने पर धनराशि रू0 5000.00 का जुर्माना लगाया जायेगा अन्यथा की स्थिति में बिल्ली को जब्त किये जाने का प्राविधान है।

..........तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 26</u>

प्रभारी अधिकारी 'शिक्षा, नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

पत्रांकः 72/2/प दिनांकः 04.07.2023

प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम द्वारा 07 माध्यमिक विद्यालय, 04 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 01 गॉधी संगीत महाविद्यालय संचालित है, जो काफी पुरानी एवं जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिनमें से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चुन्नीगंज में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत जीर्णोद्धार किया जा रहा है। शेष विद्यालयों में जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है। जिससे नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ने के साथ ही शहर वासियों को सुरक्षित विद्यालय एवं अच्छी शिक्षा मुहैया करायी जा सके। नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :–

क. सं.	विद्यालय का नाम	संचालित कक्षायें	टिप्पणी
1	महिला इण्टर कालेज सिविल लाइन्स	कक्षा 6 से 12तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
2	महिला इण्टर कालेज तिलक नगर	कक्षा 6 से 12तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
3	महिला इण्टर कालेज हीरामनपुरवा	कक्षा 6 से 12तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
4	आर.बी.आर.डी.इ.का. नवाबगंज	कक्षा 6 से 12तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
5	गांधी स्मा.इ.कालेज गोविन्द नगर	कक्षा 6 से 12तक बालक	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
6	श्री रतन शुक्ल इ.कालेज जूही	कक्षा 6 से 12तक बालक	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
7	डी.पी.एस. इण्टर कालेज नवाबगंज	कक्षा 6 से 12तक बालक	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
8	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुन्नीगंज	कक्षा 1 से 5 तक बालक / बालिका कक्षा 6 से 12 तक बालिका	**स्मार्ट सिटी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।**
9	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काकोदव	कक्षा 1 से 5 तक बालक / बालिका कक्षा 6 से 12 तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
10	उच्चतर माध्यमिक वि0 किदवई नगर	कक्षा 6 से 12 तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
11	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जूही	,,	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
12	गांधी संगीत महाविद्या0 सिविल लाइन्स	प्रारम्भिक से अलंकार तक बालक / बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।

अतः छात्रहित एवं विद्यालय हित में उपरोक्त 11 विद्यालयों में जीर्णोद्धार कार्य कराये जाने की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि चूँकि स्कूली बच्चों के लिये स्पोर्टस सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिये बहुत कम स्थान है। भारत सरकार भी खेलो इंडिया खेलो के तहत बच्चो में खेल प्रतिभाओं को बढ़ाया जा रहा हैं। कानपुर में भी स्कूलों बच्चो में खेल प्रतिभाओ के विकास की आवश्यकता है।

.........तद्नुसार 'खेलो इंडिया खेलो' के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, काकादेव को पी0पी0पी0/स्मार्ट सिटी/अवस्थाना निधि से स्पोर्टस स्कूल के रूप में पुनरूद्धार किये जाने की हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या – 27

नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

कृपया स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत मा0 प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी, के द्वारा वर्ष 2016 में की गयी थी। भारत सरकार द्वारा ''स्वच्छ भारत मिशन'' के अन्तर्गत वर्ष 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली पूरे देश में लागू कली गयी थी, इसी के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा भी सभी नगर निगमों/ नगर पालिकाओं/ नगर पंचायतों को नियमावली में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करने के आदेश दिये गये थे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वर्ष 2016 में सबसे महत्वपूर्ण घटक डोर टू डोर कलेक्शन का है जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 नियमावली का प्रमुख घटक है। वर्तमान में कूड़ा न देने वाले, कूड़ा इधर–उधर फेंकने वाले, गंदगी फैलाने वाले लोगों पर नगर निगम सदन द्वारा पारित अर्थ दण्ड / जुर्माना की व्यस्था भी लागू है। जुर्माना/चालान की कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग के सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों द्वारा सम्पादित की जाती है। सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों द्वारा प्रभावी संख्या वर्ग में अधिक प्रर्वतन दस्ते न होने की वजह चालानी कार्यवाही ही की जाती है। चालानी कार्यवाही का निस्तारण मा0 कोर्ट के माध्यम से लगाया जाने वाला अर्थदण्ड भी मामूली सा होता है। सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को प्रर्वतन की कार्यवाही करते समय उनके साथ अभद्रभाषा व मारपीट की घटनाएं आये दिन होती है। मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रर्वतन की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रर्वतन दल की स्थापना करने की नितान्त आवश्यकता है।

अतएव समस्त जोनों में प्रत्येक सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों के साथ 05 रिटायर्ड फौजी तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 05 मानव बल लगाये जाने की मा0 कार्यकारिणी की स्वीकृति हेतु ताकि कानपुर को इन्दौर की तरह स्वच्छ व सुन्दर बनाया जा सके। ।

. **.........तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।**

प्रस्ताव संख्या –28

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी एवं नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1959 की धारा 154 में निहित ऋण लेने की शक्तियों के अन्तर्गत नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1960/नौ–9–22–58 ज/ 18टी0सी0 दिनांक 28.09.2022के द्वारा नगर निगम, कानपुरको म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।म्युनिसिपल बॉण्डके अन्तर्गत केन्द्रीय नियामक संस्था द्वारा निर्गत सेबी के अधिनियमों एवं शर्तो के अनुपालन से कर्मचारियों की क्षमता निर्माण में मदद होती है,वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता मे वृद्धि होने के साथ–साथसुशासन लानेमें मदद मिलती है। म्युनिसिपलबॉण्डको जारी करने की प्रक्रिया कोसुचारू

रूप से क्रियांवित करने और बाण्ड की परिपवक्ता तकके पोस्ट इश्यू कम्प्लायंस के अनुपालन हेतु नगर आयुक्त महोदय द्वारा स्वयं की अध्यक्षता में दिनांक 10.11.2022 को एक बॉण्ड समिति का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य (पदनाम द्वारा सदस्य)वर्तमान में शामिल हैं:–

01.	श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 –	नगर आयुक्त	– अध्यक्ष
02.	श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी –	अपर नगर आयुक्त	–सदस्य
03.	श्री कृपानन्द शुक्ला –	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	–नोडल अधिकारी
04.	श्री मनीष अवस्थी –	मुख्य अभियन्ता (निर्माण)	–सदस्य
05.	श्री के0पी0 आनन्द –	महाप्रबन्धक, जलकल	–सदस्य
06.	श्री इसरार अम्बिया अंसारी–	मुख्य नगर लेखा परीक्षक	– सदस्य
07.	श्री आर0के0 सिंह –	अधि0 अभियंता (प्रोजेक्ट)	– सदस्य
08.	श्री अनिरूद्ध सिंह –	मु0कर नि0अ0 / प्र0अ0 सम्पत्ति	–सदस्य
09.	श्री विद्यासागर यादव –	प्रभारी अधिकारी, कार्मिक	– सदस्य
10.	श्री मुकेश अग्निहोत्री –	नक्शा अधीक्षक	– सदस्य

नगर निगम की ओर से समिति के अध्यक्ष नगर आयुक्त महोदय के पास सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने एवं आवश्यक अनुबन्ध करने के अधिकार निहित होंगे।नगर आयुक्त इन शक्तियों को नगर निगम के किसी अन्य अधिकारी को भी सौंप सकता है, जो कि अपर नगर आयुक्त के पद से नीचे का न हो।

म्युनिसिपलबॉण्डकी धनराशि का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति परियोजनाओं के आर्थिक क्रियान्वयनहेतु निकाय अंश के रूप मे किया जायेगा, का विवरण निम्नवत् है–

<u>अ– कानपुर नगर के दक्षिण व पूर्व क्षेत्र मे जलापूर्ति पाइलपालन विस्तार</u>

प्रोजेक्ट लागत	रू0–308.00 करोड़
निकाय अंश 30 प्रतिशत	रू0–92.00 करोड़

इस योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर के वार्ड सं0–19,24,28,30,36,39,48,53,56,58,60,62,66,67,69,70,71,74,77,80,81,83,86,88व 91 मे 10 ओवर हेड टैंक, 10 पम्पिंग प्लांट एवं 12 पम्प हाउस सह ट्यूबवेल की स्थापना प्रस्तावित है। इन क्षेत्रों के अन्तर्गत लगभग 63152 भवनों की जलापूर्ति की व्यस्था प्रस्तावित है।

<u>ब– कानपुर नगर के पश्चिम क्षेत्र मे जलापूर्ति पाइलपालन विस्तार</u>

प्रोजेक्ट लागत	रू0–187.00 करोड़
निकाय अंश 30 प्रतिशत	रू0–56.00 करोड़

इस योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर के वार्ड सं0–18,20,32,33, व 44 मे 06 ओवर हेड टैंक, 08 पम्पिंग प्लांट एवं 01 आई0पी0एस की स्थापना व 308174 मी0 पाइप लाइन बिछाना प्रस्तावित है। इन क्षेत्रों के अन्तर्गत लगभग 31714 भवनों की जलापूर्ति की व्यस्था प्रस्तावित है।

सेबी गाइडलाइन्स के अनुसार योजनओं की लागत का लगभग 80 प्रतिशत म्यूनिसिपल बाण्ड के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त योजनाओं मे वांछित 30 प्रतिशत निकाय अंश रू0–148.00 करोड़ (रू0–92.00 करोड़ +रू0–56.00 करोड़) मे से लगभग रू0–100 करोड़ की धनराशि म्युनिसिपल बाण्ड जारी करते हुए प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है तथा इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग उ0प्र0

सरकार द्वारा अपने पत्र सं–1960/नौ–9–22–58 ज/18टी0 सी0 दिनांक–28.09.2022 के माध्यम से निर्देशित किया गया है तथा विभिन्न बैठको में प्रगति की समीक्षा भी की जा रही है।

नगर निगम द्वारा इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक तैयारिया जिनमे कंसलटेन्ट, मर्चेन्ट बैंकर सह ट्रान्जेक्शन एडवाइसर आदि को डयू डिलिजेन्स व फंड एकत्रित किये जाने हेतु सेबी गाइडलाइन के अनुसार कार्य किये जाने हेतु चयनित किया जा चुका है उपरोक्त म्यूनिसिपल बाण्ड जारी करने से नगर निगम को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होगें।

01. बाण्ड जारी किये जाने की प्रकिया सेबी रेगुलेशन एक्ट के अनुसार होगी जिसका अनुपालन बाण्ड जारी करने वाले नगर निगमों को किया जाना अनिवार्य है।
02. उक्त नियमो के अनुपालन करने से नगर निगम में वित्तीय अनुशासन बेहतर प्रोजेक्ट मानीटरिंग के साथ–साथ नगर निगम को आत्म निर्भर बनाने में सहयोग करेगी।
03. म्यूनिसिपल बाण्ड जारी किये जाने से कानपुर नगर को अन्तराष्ट्रीय निवेशकर्ताओ को ध्यान कानपुर नगर हेतु आकर्षित होगा।
04. बाण्ड के माध्यम से प्राप्त होने वाली धनराशि को योजनाओ में निवेश करने से नगर निगम के अपने श्रोतो से प्राप्त हो रही आय अन्य आन्तरिक विकास कार्यो हेतु सुलभ रूप से उपलब्ध रहेगी।
05. म्यूनिसिपल बाण्ड के माध्यम से शहर हेतु अन्य बड़े प्रोजेक्ट को प्रारम्भ करने हेतु विकल्प खुलेगें जो कि सामान्यतः सीमित वित्तीय श्रोतो के कारण पूर्व मे नही किये जा सके है।

मा0 सदन से उपरोक्त लगभग रू0–100 करोड़ रूपये के म्युनिसिपल बाण्ड (अधिकतम सीमा 125 करोड़ रूपये तक) जारी करने हेतु तथा उपरोक्त बॉण्ड कमेटी को सदन एवं निगम की ओर से बॉण्ड जारी करने, सूचीबद्व कराने एवं आवंटित करने तथा बॉण्ड जारी होने के पश्चात कम्प्लायंस हेतु समस्त निर्णय लेने का अनुमोदन माननीय सदन से अपेक्षितहै। यह बॉण्ड कमेटी समय–समय पर जारी उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह और निर्देशों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अध्याय संख्या VIII के खण्ड 154 के अनुसार नगर निगम राज्य सरकार के अनुमोदन से डिबेंचर/बॉण्ड जारी कर ऋण ले सकता है। राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन में ऋण का उद्देश्य और धनराशि एवं अन्य शर्तें, जिसमें बॉण्ड की अवधि एवं बॉण्ड ऋण चुकाये जाने की अवधि सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, नगर निगम अधिनियम के खण्ड 154 के तहत नगर निगम में निहित किसी भी अचल सम्पत्ति के बंधक पर बॉण्ड/डिबेंचर जारी कर सकता है तथा नगर निगम द्वारा लगाये जाने वाले समस्त करों, शुल्कों आदि का उपयोग उक्त ऋण की नियमानुसार सुरक्षा व्याप्ति कवरेज हेतु किया जा सकता है। The SEBI (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) Regulations 2015, के प्राविधानों के अन्तर्गत में म्युनिसिपल बॉरोअर को ऋण धनराशि का कम से कम 100 प्रतिशत asset cover रखना अनिवार्य है। अतः माननीय सदन से नगर निगम की ऐसी किसी अचल सम्पत्ति को बॉण्ड ट्रस्टी/निवेशकों के पक्ष में बंधक के लिये माननीय सदन की सहमति/स्वीकृति भी अपेक्षित है। ऐसी अचल सम्पत्ति को बॉण्ड कमेटी उचित समय पर चिन्हित कर बॉण्ड ट्रस्टी/निवेशकों के पक्ष में बंधक करेगी। इसके अतिरिक्त बाण्ड जारी किये जाने की प्रकिया में आवश्यक विभिन्न संस्थाओ जैसे स्टाक एक्सचेंन्ज, ट्रस्टी, आर0टी0ए0,सी0आर0ए0 व अन्य सलाहकार आदि को बाण्ड समिति द्वारा नामिनेशन के आधार पर चयनित/नियुक्त किये जाने की भी अनुमति आवश्यक है जैसा कि विभिन्न नगर निगमो

प्रमुखतः लखनऊ व गाजियाबाद नगर निगम द्वारा किया गया है। म्युनिसिपल बॉण्ड निर्गत करने के क्रम में राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करनें हेतु उक्त प्रस्ताव को सदन से अनुमोदन प्राप्त कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है।

अतः उक्त प्रस्ताव पर मा0 कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत प्रदान करते हुए मा0 सदन के स्वीकृतार्थ अग्रसारित करनें का कष्ट करें।

नगर आयुक्त ने यह भी अवगत कराया कि 100 करोड़ का म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार से उठाया जाना है। इसमें 13 करोड़ भारत सरकार अनुदान देगी। राजस्व विभाग से हम लोग फण्ड ले सकते हैं। जलापूर्ति और सीवरेज का जल निगम द्वारा प्रस्ताव बनाया गया है व हमारी सम्पत्यिो ंका मूल्यांकन 10 हजार करोड़ किया गया है। हम 10 साल तक पैसा रखेंगे इसे शासन भी मानिटरिंग कर रहा है।

सभापति ने कहा 100 करोड़ से क्या कर लेंगे, 300 करोड़ 15 वें वित्त आयोग से आता है। अमृत योजना का काम कभी हमने नहीं देखा उसके लिये 100 करोड़ लोन कैसे लिया जाये ?

नगर निगम की सम्पत्ति के एवज में 100 करोड़ जल निगम को मिलेंगें। जब जल निगम के के सीवर एवं जलापूर्ति के कार्यो के कारण अभी तक शहर की जनता परेशान है। बॉण्ड का पैसा नगर निगम का होगा, काम जल निगम करेगा, काम भी इन्ही का होगा।

सभापति ने कहा जब जल निगम डी0पी0आर0 बनाकर 15 दिन में लायेंगे, तभी प्रस्ताव पास होगा।

......................म्युनिसिपल बाण्ड का डी0पी0आर0 तैयार कर अगली मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करे।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 29</u>

श्री पवन पाण्डेय, पार्षद, वार्ड–30 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

लखनपुर/विकास नगर स्थित मनोरमा पैलेस गेस्ट हाउस से बरसाइतपुर जाने वाली सड़क का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी शिवराम पाण्डेय मार्ग का नामकरण का प्रस्ताव दिया गया है। उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूॅ

अतः उक्त मार्ग का नामरण स्वतंत्रता सेनानी शिवराम पांडे के नाम पर कराने का कष्ट करें।

.... परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से नामकरण नहीं है, तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या – 30</u>

श्री नवीन पंडित, पार्षद, वार्ड–93 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम में एक पूरा विभाग भ्रष्टाचार हेतु प्रोजेक्ट सेल बनाया गया है, जिसकी तमाम अनियमिता की शिकायतें आ रही है। आपसे आग्रह है कि इस विभाग द्वारा विगत

05 वर्षो की पत्रावली प्रोजेक्ट की जॉच करायी जाये और तब तक इस प्रोजेक्ट सेल को निरस्त किया जाये, जिससे प्रदेश सरकार की व नगर निगम की छवि बचाई जा सके।

....................**शिकायत की जॉच कर आख्या मा0 सदन में प्रस्तुत करें।**

सभापति ने दिनांक 04 को स्थगित एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में सभी सदस्यों से अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने के लियें कहा।

........................**सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 4 को स्थगित एवं 5.07.2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।**

....

तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर / सभापति